2—अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रस्तुत

शिक्षक संदर्शिका

(प्रायोगिक संस्करण)

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्

प्रथम संस्करण
जनवरी 1979
पौष 1900

P. D. 10T

मूल्य : रु० **1.80**

प्रकाशन विभाग में श्री विनोद कुमार पंडित सचिव, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् श्री अरविन्द मार्ग, नई दिल्ली 110016 द्वारा प्रकाशित तथा ग्रन्थ भारती दिल्ली 110032 में मुद्रित।

निवेदन

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश में प्राथमिक शिक्षा के प्रसार के लिए विशेष प्रयास किया गया पर फिर भी आज स्थिति यह है कि 9-14 आयु वर्ग के बालक-बालिकाओं में से लगभग 70 प्रतिशत बच्चे शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। बालिकाओं में ऐसे बच्चे 85 प्रतिशत हैं। इसका मुख्य कारण इन बालक-बालिकाओं के परिवारों की आर्थिक स्थिति है जिस कारण वे परिवार के व्यवसाय को चलाने में सहायता करने तथा अपने छोटे भाई बहिनों की देख-भाल करने में लगे रहते हैं। ऐसे बालक-बालिकाओं की शिक्षा के लिए भारत सरकार ने अनौपचारिक शिक्षा की योजना बनाई है जिसमें बालक-बालिकाओं को उनकी समय और स्थान की सुविधा के अनुसार शिक्षा दी जाएगी।

शिक्षा की कमियों को महसूस करते हुए पूज्य बापू ने भी "हरिजन" (23-5-36) में लिखा था— 'दुर्भाग्य से इस शिक्षा पद्धति का परिवेश से कुछ संबंध नहीं है और यह कुछ सीमित बालक-बालिकाओं को ही दी जा रही है।' शिक्षा की इन कमियों को दूर करने के लिए अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम में प्राकृतिक-सामाजिक परिवेश तथा उस पर आधारित व्यावसायिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और नागर समस्याओं तथा बालक-बालिकाओं की रुचियों, आवश्यकताओं एवं उनकी महत्वकांक्षाओं को विशेष महत्व दिया गया है। इसी आधार पर अनौपचारिक शिक्षा के दो उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं :

1. बालक-बालिकाओं के जीवन को उन्नत करना।
2. बालक-बालिकाओं को औपचारिक विद्यालयों में प्रवेश के योग्य बनाना।

उपर्युक्त दोनों उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने साक्षरता निकेतन लखनऊ के सहयोग से अनौपचारिक शिक्षा की योजना तैयार की है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रस्तुत पाठ्यक्रम, पाठ्य सामग्री तथा प्रशिक्षण सामग्री बच्चों की समस्याओं, रुचियों, आवश्यकताओं तथा महत्वाकांक्षाओं को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। समस्या आधारित पाठ्यक्रम तथा पाठ्य सामग्री के दो महत्वपूर्ण लाभ हुए हैं। पहला, शिक्षा तथा जीवन में स्वाभाविक संगति बैठ गई है जो प्रथम उद्देश्य की पूर्ति में सहायक हो सकती है। यह इसलिए संभव हो सका है कि पाठ्य सामग्री प्रदेशों की प्रशासनिक सीमाओं में न बंध कर विभिन्न प्राकृतिक तथा सामाजिक परिवेशों, यथा ग्रामीण, आदिवासी, पहाड़ी, रेगिस्तानी, समुद्री तट की विशेषताओं को ध्यान में रखकर तैयार की जा रही है। इसमें भी यथावश्यक बालक तथा बालिकाओं के लिए अलग-अलग सामग्री तैयार की गई है।

दूसरा, समस्याओं का विश्लेपण करने, उन पर विचार करने तथा उनका हल प्रस्तुत करने में विज्ञान, सामाजिक ज्ञान, गणित तथा भाषा स्वाभाविक रूप से समाकलित हो गए हैं। इसके अतिरिक्त, दूसरे उद्देश्य को दृष्टि में रखकर एक ऐसे अतिरिक्त योजक पाठ्यक्रम की भी कल्पना की गई है जो उसकी प्राप्ति में सहायक हो सकेगा।

अनौपचारिक शिक्षा की दो वर्ष की अवधि के प्रथम छह माह के लिए निम्नलिखित सामग्री तैयार की गई है—

1. समस्या आधारित पाठ्यक्रम
2. शिक्षक-संदर्शिका—यह पूरी अवधि के लिए उपयोगी होगी।
3. प्रशिक्षण निर्देशिका
4. प्रवेशिकाएं—ग्रामीण बालक-ग्रामीण बालिकाओं, आदिवासी बालक-बालिकाओं तथा नागर बालक-बालिकाओं के लिए
5. प्रवेशिका संदर्शिकाएं
6. व्यावहारिक गणित—भाग-1

इसी प्रकार शेष अवधि तथा योजक पाठ्यक्रम के लिए भी विशेष सामग्री तैयार की जाएगी।

प्रस्तुत शिक्षण संदर्शिका के संबंध में सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें दिए गए सुझाव शिक्षकों की योग्यताओं तथा गाँवों में उपलब्ध न्यूनतम सुविधाओं को ध्यान में रखकर दिए गए हैं। इसमें केन्द्र प्रारंभ करने की तैयारी और केन्द्र के आयोजन के संबंध में सुझाव दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त संपूर्ण पाठ्यक्रम को दृष्टि में रखकर शिक्षण प्रक्रिया के संबंध में भी संकेत दिए गए हैं, जिसमें शिक्षण और मूल्यांकन दोनों सम्मिलित हैं।

प्रस्तुत शिक्षक संदर्शिका की योजना तथा मूल सामग्री क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय, भोपाल तथा क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय, अजमेर में आयोजित कार्यगोष्ठियों में विकसित की गई। साक्षरता निकेतन, लखनऊ में आयोजित कार्यगोष्ठी में डा० अरुण कुमार मिश्र की सामान्य देखरेख में सामग्री को परिमार्जित कर इसे अंतिम रूप दिया गया। इसकी पांडुलिपि श्री अब्दुल हनीफ, राज्य शिक्षा संस्थान, उदयपुर, डा० पी० के० खन्ना, क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय, भोपाल, डा० जे० एन० वाजपेई, क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यलय, भुवनेश्वर, श्री भगवत रावत, क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय भोपाल, श्री अमीचन्द शर्मा एवं श्री राजेन्द्र जोशी, राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान, नई दिल्ली ने तैयार की जिसमें श्री भगवत रावत का विशेष योगदान रहा। कार्यगोष्ठियों में भाग लेने वाले शिक्षक संदर्शिका से संबद्ध प्रतिभागियों की सूची अन्यत्र दी जा रही है। परिषद् इन सब की आभारी है।

परिषद् उन हिन्दी भाषी प्रदेशों के शिक्षा विभागों, शिक्षा बोर्डों, विश्वविद्यालयों तथा स्वयं सेवी संस्थाओं की भी आभारी है जिन्होंने अपने अधिकारियों को इस कार्य में भाग लेने की अनुमति

देकर प्रोत्साहित किया। परिषद् संदर्शिका के प्रथम प्रारुप पर मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा संस्थान, क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय, भोपाल तथा अजमेर तथा क्षेत्रीय सलाहकार, भोपाल तथा अजमेर के सुझावों के लिए भी कृतज्ञ है।

यह अत्यन्त प्रसन्नता तथा संतोष का विषय है कि अखिल भारतीय स्तर पर अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम राष्ट्रीय परिषद् के संयुक्त निदेशक डा० अतीन्द्र नाथ बोस के मार्गदर्शन में चलाया जा रहा है और हिन्दी क्षेत्र, उत्तरी पश्चिमी भारत तथा मध्य भारत में इस कार्यक्रम का आयोजन प्रो० कृष्ण गोपाल रस्तोगी कर रहे हैं तथा उनकी सहायता श्री हरचरण लाल शर्मा कर रहे हैं।

अंत में हम इसके प्रयोक्ताओं को इस शिक्षण सामग्री का उपयोग करने और अपने अनुभव के आधार पर इसके परिष्कार के लिए सुझाव देने के लिए आमंत्रित करते हैं।

शिवकुमार मित्र
निदेशक
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्

पाठ्य सामग्री निर्माण हेतु आयोजित कार्यगोष्ठियों में शिक्षक संदर्शिका के निर्माण में संबंद्ध विशेषज्ञ

क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय, भोपाल

(सितम्बर 21-27, 1978)

समन्वयक : डा० अरुण कुमार मिश्र

श्री पी० एन० रुसिया, (भोपाल)
डा० आर० एस० वशिष्ठ, (नई दिल्ली)
श्री के० जी० तिवारी, (भोपाल)
डा० पी० के० खन्ना, (भोपाल)
श्री भगवत रावत, (भोपाल)
डा० जे० एन० वाजपेयी, (भुवनेश्वर)
डा० आत्माराम साहू, (नई दिल्ली)

क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय, अजमेर

(सितम्बर 24-30, 1978)

समन्वयक : श्री अमीचन्द शर्मा एवं श्री राजेन्द्र जोशी

श्री वीरेन्द्र त्रिपाठी, (लखनऊ)
श्री कृष्ण गोपाल बीजावत, (भरतपुर)
श्री अब्दुल हनीफ, (उदयपुर)
श्री नसीरुद्दीन सिद्दकी, (उदयपुर)
श्री आनन्द प्रकाश, (लखनऊ)
श्री गंगादास सेवग, (उदयपुर)
कु० ममता जेटली, (जयपुर)
डा० (कु०) सुरक्षा, (मेरठ)
डा० एम० पी० भटनागर, (अजमेर)
श्री प्रभाकर सिंह, (इलाहाबाद)
डा० मुल्कराज चिलाना, (चंडीगढ़)
श्री एस० एस० श्रीवास्तव, (अजमेर)
डा० एम० एस० सामर, (अजमेर)
श्री बी० एन० लाल, (अजमेर)

साक्षरता निकेतन, लखनऊ

(अक्टूबर, 17 से 28, 1978)

समन्वयक : डा० अरुण कुमार मिश्र

श्री अब्दुल हनीफ, (उदयपुर)
श्री ई० वी० रतनैया, (हैदराबाद, प्रेक्षक)
डा० जे० एन० वाजपेयी, (भुवनेश्वर)
डा० पी० के० खन्ना, (भोपाल)
श्री अमीचन्द शर्मा, (नई दिल्ली)
श्रीमती शान्ता कृष्णन, (नई दिल्ली, प्रेक्षक)
श्री भगवत रावत, (भोपाल)
श्री राजेन्द्र जोशी, (नई दिल्ली)

संयोजक : प्रो० कृष्ण गोपाल रस्तोगी, नई दिल्ली

विषय सूची

1. प्रस्तावना

स्वतंत्रता के बाद से अब तक अपने देश में शिक्षा का काफी प्रसार हुआ है। लेकिन अभी तक हमें जो लक्ष्य पा लेना चाहिए था उससे हम आज भी कोसों दूर हैं। वर्तमान शिक्षा के ढांचे में शिक्षा अधिकतम केवल उन परिवारों के बच्चों तक ही पहुंची है जो पहले से साधन सम्पन्न थे। लेकिन करोड़ों की संख्या में आज भी ऐसे बच्चे हैं जो इस शिक्षा का लाभ नहीं उठा सके हैं। बहुत सारे बच्चे या तो स्कूलों में गये ही नहीं और जो गये भी उनमें से अधिकांश बच्चों ने एक दो साल में ही पढ़ाई छोड़ दी। कारण बहुत साफ हैं। इन बच्चों को अपने परिवार की आय बढ़ाने में किसी न किसी तरह मदद करनी पड़ती है। वे या तो मेहनत मजदूरी करते हैं या अपने माता-पिता के कामों में हाथ बटाते हैं। छोटे-छोटे बच्चे होटलों में काम करते हैं, जूता-पालिश करके धन कमाते हैं, मवेशी चराते हैं, मिट्टी खोदते हैं या खेत की रखवाली करते हैं। इस विषय में लड़कियां और भी पीछे हैं। उन्हें सुबह से शाम तक बच्चों को संभालने से लगाकर घर के सभी मेहनत के काम करने पड़ते हैं। जहाँ स्त्रियाँ घरों में काम करने जाती हैं वहां भी अपनी माँ की सहायता उन्हें करनी पड़ती है। कुल मिलाकर यह कि इन बच्चों के लिए शिक्षा का वर्तमान ढांचा कोई लाभ नहीं पहुंचाता। उलटे उनके परिवार मे आर्थिक कठिनाई पैदा कर देता है। स्कूलों में पढ़ाई का समय निश्चित है। पढ़ाई के दिन, छुट्टियां और परीक्षा का तरीका सभी कुछ निश्चित है। इन बंधनों में ये बच्चे बंध नहीं पाते। स्कूलों का पाठ्यक्रम भी बहुधा इतना कठोर और नीरस होता है कि ऐसे बच्चों को उसमें कोई रुचि नहीं रह जाती क्योंकि इस शिक्षा का उनके जीवन से कोई सीधा संबंध भी नहीं होता। ये बच्चे चाहकर भी अपना काम धन्धा छोड़कर स्कूलों में पढ़ने नहीं जा सकते। अतः हमारे देश के सामने यह एक बहुत बड़ी समस्या है कि इन बच्चों को किस प्रकार शिक्षित किया जाए ताकि वे शिक्षा प्राप्त करके

अपना जीवन स्तर सुधार सकें।

इन बातों को ध्यान में रखकर ही ऐसे बच्चों के लिए शिक्षा की अलग से व्यवस्था करने की बात सोची गई है। यह तय किया गया है कि क्यों न हम इन बच्चों की सुविधाओं को ध्यान में रखकर शिक्षा दें अर्थात् जब इन्हें फुरसत हो तभी हम उन्हें पढ़ायें। वे जहां आसानी से जा सकें उन्हें वहीं पढ़ायें। साथ ही हम उन्हें ऐसी शिक्षा दें जो उनके जीवन के लिए उपयोगी हो। जो उनकी समस्याओं को सुलझाने में सहायक हो और जो उनके जीवन-स्तर को सुधारने में मदद करती हो। मोटे तौर पर 9 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए ही इस शिक्षा की योजना बनाई गई है।

अर्थ

अगर थोड़े में कहें तो ऐसी शिक्षा का अर्थ यह हुआ कि 9 से 14 वय वर्ग के उन बच्चों के लिए जो या तो स्कूल गये ही नहीं या जिन्होंने बीच में ही स्कूल छोड़ दिया हो, ऐसी शिक्षा की व्यवस्था करना जो हमारे देश में प्राथमिक शिक्षा को फैलाने का उद्देश्य पूरा करे। उन्हें ऐसी शिक्षा दी जाए जो वर्तमान शिक्षा के ढाँचे के उन सभी बंधनों से मुक्त हो जो उनके शिक्षा प्राप्त करने में बाधक हैं तथा जो उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उनके जीवन के लिए उपयोगी हो।

उद्देश्य

इन सभी बातों को ध्यान में रखकर ऐसी शिक्षा के निम्नलिखित उद्देश्य निर्धारित किये गये हैं :

(क) इन बच्चों को इतना पढ़ना-लिखना सिखा देना ताकि वे अपने जीवन के व्यवहार में पढ़ने-लिखने से संबंधित किसी तरह की कठिनाई का सामना न करें।

(ख) इन बच्चों को ऐसी शिक्षा देना जो उनकी रुचियों, आकांक्षाओं, आवश्यकताओं और समस्याओं पर आधारित हो ताकि यह शिक्षा उन्हें समस्याओं के समाधान की प्रेरणा भी दे सके।

(ग) इन बच्चों को इस शिक्षा के द्वारा इतना योग्य बना देना कि यदि कोई बच्चा आगे पढ़ना चाहे तो वह स्कूल में प्रवेश पा सके।

आयु-सीमा व बच्चे

इस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था में 9 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे ही शिक्षा पाएंगे। ये बच्चे ऐसे होंगे जो या तो स्कूल कभी गए ही नहीं या जिन्होंने बीच में ही स्कूल छोड़ दिया।

समय व स्थान

इन बच्चों को पढ़ाने का समय और स्थान उनकी सुविधा के अनुसार ही तय किया जाए। जिस समय उन्हें अपने काम धन्धे से फुरसत हो वही समय उन्हें पढ़ाने के लिए चुना जाए और जिस स्थान पर वे आसानी से जा सकें वही स्थान चुना जाए।

इस तरह की शिक्षा की व्यवस्था के द्वारा कमजोर वर्ग के इन बच्चों को शिक्षा देने का कार्य बहुत कठिन है। अतः जो शिक्षक यह काम करेगा उसकी जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाएगी क्योंकि उसके कँधों पर अपने देश के उन बच्चों को शिक्षा देने का भार है जो पिछड़े हुए हैं। जिनकी सहायता अभी तक कोई नहीं कर सका उन्हें योग्य बनाने की पवित्र जिम्मेदारी इस शिक्षक पर है। यह तभी हो सकेगा जब हमारा शिक्षक इस काम में पूरे मन से जुट जाए और इस काम को एक महान और पवित्र काम माने।

अतः इस काम के लिए शिक्षक को पूरी सूझबूझ से काम लेना होगा। अपने अच्छे व्यवहार और आचरण से सबका मन जीतना होगा तभी वह इस महान कार्य में सफलता प्राप्त कर सकेगा।

2. केन्द्र आयोजन

जिस तरह की शिक्षा हम बच्चों को देने जा रहे हैं उसके लिए कहीं न कहीं हमें कोई स्थान चुनना पड़ेगा। यह स्थान ही हमारी इस शिक्षा का केन्द्र होगा। लेकिन केन्द्र का चुनाव अचानक ही नहीं हो जाएगा। बहुत सारी बातों पर ध्यान देना जरूरी होगा, जैसे किन बच्चों के लिए केन्द्र की आवश्यकता है, वे केन्द्र पर कैसे आएंगे, केन्द्र के लिए किन-किन चीजों की आवश्यकता होगी, इत्यादि। तभी केन्द्र को हम सही ढंग से आयोजित कर सकेंगे। अपने क्षेत्र की सारी परिस्थितियों को ध्यान में रखकर शिक्षक को ही सारी बातों का निर्णय करना होगा। फिर भी केन्द्र का आयोजन करने के लिये यदि नीचे दी गई विधि को अपनाया जाए तो काफी सफलता मिल सकती है।

बच्चों के संबंध में जानकारी एकत्र करना

बच्चों को शिक्षा देने के लिए केन्द्र कहां खोला जाए इस समस्या को हल करने के लिए अच्छा होगा कि हमने जिस क्षेत्र को चुना है वहां के बच्चों के संबंध में कुछ आवश्यक जानकारी इकट्ठी कर लें। यह जानकारी हमारी बहुत सी समस्याओं को हल कर देगी जैसे हमें मालूम हो सकेगा कि बच्चों को पढ़ने की फुरसत किस समय है, अभी तक क्यों नहीं पढ़ सके या उन्होंने पढ़ना क्यों छोड़ दिया, वे क्या काम करते हैं, इत्यादि। इस जानकारी को यदि निम्नलिखित रूप में इकट्ठा किया जाए तो हमें वे सभी बातें मालूम हो जाएंगी जिनको हमें ध्यान में रखना होगा :

1. बच्चे का नाम
2. पिता का नाम
3. परिवार की आय का साधन
4. बच्चे की आयु
5. बच्चा क्या काम करता है ?
6. कभी स्कूल गया या नहीं ?

7. स्कूल छोड़ने का कारण
8. पढ़ने के लिए फुरसत का समय
9. केन्द्र में पढ़ने के लिए इच्छुक है या नहीं।

यह जानकारी केन्द्र खोलने के लिए आधार होगी। हमें पता लग जाएगा कि ऐसे कितने बच्चे हैं और हमें उनकी शिक्षा के लिए किस तरह की व्यवस्था करनी होगी।

सम्पर्क और प्रेरणा

जब हम ऊपर कही गई जानकारी इकट्ठी कर लें तब हमारा अगला कदम यह होगा कि हम केन्द्र को खोलने के लिए लोगों से सम्पर्क करें। उस क्षेत्र के लोगों से सम्पर्क किए बिना यह काम पूरा नहीं होगा। लोगों को समझाना होगा और उन्हें यह अनुभव कराना होगा कि उनके बच्चों की भलाई के लिए ही आप यह काम कर रहे हैं। सम्पर्क करने के लिए यदि शिक्षक नीचे कही गई बातों पर ध्यान दे तो उसे काफी सफलता मिल सकती है।

1. शिक्षक अपने क्षेत्र के जीवन में घुलमिल जाए। लोग उसे अपने से अलग न समझें।
2. शिक्षक अपने क्षेत्र के उत्सवों, सभाओं आदि में भाग लेकर वहां के लोगों के निकट आने की कोशिश करे।
3. शिक्षक अपने क्षेत्र के लोगों के बीच की दलबन्दी और राजनीति से अपने आपको दूर रखे।
4. लोगों से इस नई शिक्षा के बारे में बातचीत शुरू करे और उन्हें इस योजना से परिचित कराए।
5. अपने क्षेत्र के सभी प्रमुख लोगों का विश्वास प्राप्त करने की कोशिश करे।

सम्पर्क के इस काम से उस क्षेत्र में इस शिक्षा के बारे में लोगों में जागृति पैदा होगी और केन्द्र शुरू करने के लिए एक वातावरण तैयार हो सकेगा।

जब सम्पर्क के द्वारा शिक्षक अपने क्षेत्र के लोगों में घुलमिल जाए तब उसे बच्चों के माता-पिता को उन्हें पढ़ने भेजने के लिए प्रेरित करना चाहिए। साथ ही उन

बच्चों में भी पढ़ने के लिए रुचि पैदा करनी चाहिए। इस काम के लिए हमें उन कारणों को ध्यान में रखना होगा जिनकी वजह से बच्चे पढ़ नहीं सके। यह जानकारी शिक्षक पहले ही एकत्रित कर चुका होगा। अतः शिक्षक बच्चों और माता-पिता को समझाये कि इस शिक्षा में उन्हें अपना काम-धन्धा बंद नहीं करना होगा। सबसे बड़ा सवाल शिक्षक से यह पूछा जा सकता है कि बच्चे पढ़कर क्या करेंगे। शिक्षक को इस बात के उत्तर में बच्चों को और उनके माता-पिता को यह समझाना है कि किस प्रकार पढ़-लिख कर बच्चे पहले से अच्छा जीवन बिता सकेंगे। वे अपने ही काम को और अच्छे ढंग से कर सकेंगे जिससे उनके परिवार की आय भी बढ़ेगी। वे अपने ही काम-धंधों को और आगे बढ़ा सकेंगे और पढ़ाई के कारण उनके उन काम धन्धों में कोई बाधा नहीं पड़ेगी जो वे अभी कर रहे है। वे शोषण से बच सकेंगे। स्वास्थ्य पर ध्यान दे सकेंगे। रोगों से बचने के उपाय जान सकेंगे। दैनिक जीवन में पढ़ना न आने से होने-वाली कठिनाइयों से छुटकारा पा सकेंगे।

कुल मिलाकर शिक्षक की कोशिश यहां यह हो कि वह इस शिक्षा की विशेषताओं को लोगों के सामने इस तरह रखे जिससे उन्हें विश्वास हो कि उनके बच्चे यदि इस तरह की शिक्षा प्राप्त करेंगे तो उनके जीवन में जरूर सुधार हो सकेगा।

स्थान का चुनाव

केन्द्र के लिए स्थान के चुनाव में बहुत सावधानी से काम लेना आवश्यक है क्योंकि स्थान का सीधा असर केन्द्र पर पड़ेगा। अगर स्थान का चुनाव ठीक हुआ है तो समझ लीजिए कि काम अच्छी तरह प्रारंभ हो गया। स्थान के चयन के लिए अगर नीचे लिखी बातों पर ध्यान दिया जाए तो काम आसान हो जाएगा।

1. ज्यादा से ज्यादा बच्चे जिस मुहल्ले या टोले में रहते हों वहीं केन्द्र खोला जाए क्योंकि मेहनत करने के बाद बच्चे दूर जाने में आलस्य कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि श्रमिक वर्ग के बच्चों के लिए केन्द्र का स्थान तय करना है तो उन्हीं के मुहल्ले में ही स्थान चुनना अधिक लाभकारी होगा क्योंकि उनके घरों से दूर धनी लोगों के पक्के मकानों में चलाये जानेवाले

केन्द्र पर वे बच्चे आने में हिचक सकते है।

2. बच्चों के निवास स्थान से केन्द्र जितना पास होगा उतने ही बच्चे अधिक आएंगे और नियमित रह सकेंगे।
3. पंचायत भवन, धर्मशाला, विद्यालय भवन आदि का भी उपयोग किया जा सकता है, बशर्ते कि बच्चों के घरों से यह स्थान दूर न हो और बच्चे वहां आने के लिए तैयार हों।

समय का निर्धारण

यदि केन्द्र का स्थान बच्चों की सुविधा के हिसाब से तय हो गया है तो अब दूसरा प्रश्न हमारे सामने आता है कि हम उन्हें वहाँ किस समय बुलाएँ इसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। फिर भी यदि शिक्षक यहाँ दी हुई बातों पर विचार करे तो उसे काफी संख्या में बच्चे मिल सकते हैं।

1. बच्चों को जब फुरसत हो तभी उन्हें पढ़ाने में आसानी होगी। अतः समय का निर्धारण इस तरह किया जाए कि उनके फुरसत के समय का उपयोग हो सके।
2. समय को तय करने का काम बच्चों, उनके माता-पिता या अभिभावकों से बात-चीत के द्वारा ही तय हो सकेगा।

केन्द्र का समय तय होने के बाद शिक्षक को यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि केन्द्र पर जो बच्चे आएंगे वे प्रारंभ में बहुत नियमित नहीं होंगे। अतः जो समय तय किया गया है उसके लिए कोई कठोरता न बरती जाए। शिक्षक तय किये हुए समय से लेकर लगभग तीन घंटे तक केन्द्र पर अवश्य रहे। बच्चे आते जाते रह सकते हैं। आगे चलकर बच्चों के कई वर्ग बनाने पड़ेंगे। इसलिए बच्चों की पढ़ाई का समय दो घंटे से अधिक शायद नहीं होगा। फिर भी तीन घंटे शिक्षक का केन्द्र पर रहना आवश्यक इसलिए है कि बच्चे शिक्षक से सम्पर्क कर सकें। बच्चों के माता-पिता भी शायद शिक्षक से संपर्क करना चाहें।

केन्द्र पर रहने के समय के अतिरिक्त भी शिक्षक शेष समय अपने क्षेत्र में रहे

तो वह अपने क्षेत्र की समस्याओं को सुलझाने में मदद कर सकता है और बच्चों को उनके जीवन के कार्यों में मार्गदर्शन कर सकता है। केन्द्र की छुट्टी का दिन शिक्षक अपने क्षेत्र की आवश्यकताओं के आधार पर ही तय करेगा। जैसे फसल कटाई, त्यौहार स्थानीय मेले आदि।

केन्द्र प्रारंभ करने के लिए आवश्यक सामग्री

स्थान और समय तय हो जाने के बाद समस्या आती है केन्द्र को प्रारंभ करने की। किसी भी केन्द्र के लिए कुछ सामग्री आवश्यक है। बहुत सारी सामग्री तो उसे केन्द्र प्रारंभ करने के लिए दी जाएगी। लेकिन और सुविधाओं के लिए क्षेत्र में प्राप्त कुछ सामग्री का उपयोग करना पड़ सकता है।

जो सामग्री शिक्षक को केन्द्र प्रारंभ करने के लिए दी जाएगी वह इस तरह की होगी—

1. किताबें, कापियां
2. स्लेट, पेन्सिलें
3. श्याम पट्ट
4. चाक
5. डस्टर
6. रजिस्टर, कागज पेंसिल
7. कागज
8. लालटेन या गैसबत्ती
9. टाटपट्टी
10. मोमबत्ती, माचिस
11. मटका आदि।

इन चीजों के अलावा स्थानीय स्रोतों, जैसे सामाजिक संस्थाओं और समाज के सहयोग से जो भी मदद मिल सकती है उसे शिक्षक प्राप्त करने की कोशिश कर सकता है जिससे केन्द्र को और भी सुविधाएं मिल सकें। जैसे-जैसे केन्द्र सफलता की ओर बढ़ेगा वैसे-वैसे उसे अन्य वस्तुएं भी प्राप्त होती रहेंगी जैसे-खेलकूद का सामान, प्राथमिक चिकित्सा का सामान इत्यादि।

बच्चों को केन्द्र पर लाना और उनमें रोज आने की आदत डालना

इन तैयारियों के बाद अब केन्द्र पर बच्चों को लाना होगा। यह तभी होगा

जब हम केन्द्र पर कुछ ऐसे काम प्रारंभ करे जो कि आकर्षक हों, जैसे शिक्षक खेलकूद, कहानी सुनाने, समस्याओं पर बातचीत करने, लोकगीत, कथा गायन आदि का कार्य-क्रम आयोजित कर बच्चों और उनके माता-पिता को आकर्षित कर सकते हैं। आपके संपर्क, व्यवहार और इन कार्यक्रमों से आपके पास बच्चों का आना शुरू हो सकता है। इन बातों के अतिरिक्त शिक्षक स्वयं ही अन्य क्रियाकलाप सोच सकता है जिनसे बच्चों का आकर्षण केन्द्र की ओर बढ़े। जब बच्चे केन्द्र पर आने लगें और शिक्षा का कार्यक्रम प्रारंभ हो जाए तब समस्या यह आ सकती है कि बच्चों का केन्द्र पर आना किस तरह नियमित हो। हो सकता है कि बच्चे आते-जाते रहें। रोजाना नहीं भी आएं। पर हमारी कोशिश यह हो कि बच्चे केन्द्र पर आते रहें और बीच में ही अधूरी पढ़ाई छोड़-कर न चले जाएं। इसके लिए यदि निम्नलिखित बातों पर ध्यान दिया जाए तो काम में आसानी होगी।

1. यदि कोई बच्चा केन्द्र पर आने में अनियमित होने लगे या केन्द्र पर कुछ दिनों तक न आए तो उसके घर जाकर इसके कारण पता लगाकर उनके समाधान की कोशिश की जा सकती है।
2. शिक्षक बच्चों के साथ स्नेहमय संबंध विकसित करे।
3. प्रत्येक बच्चे की सही-सही जानकारी शिक्षक के पास हो।
4. प्रत्येक बच्चे का शिक्षण उसकी योग्यता व आवश्यकता पर आधारित हो।
5. बच्चों को उनकी क्षमता के आधार पर सीखने के अवसर दिये जाएं।
6. बच्चों को यदि अपनी प्रगति का पता चलता रहे तो उनमें उत्साह बना रहेगा।

इन बातों पर यदि ध्यान दिया जाए तो बच्चे केन्द्र पर नियमित रूप से आते रहेंगे ऐसी आशा है।

छात्रों को अलग-अलग समूहों में बांटना

केन्द्र पर शिक्षा प्राप्त करने के लिए जो बच्चे आएंगे उनकी क्षमता एक सी नहीं होगी। कुछ जल्दी सीखेंगे। कुछ को सीखने में ज़्यादा समय लगेगा। उनकी आयु

भी अलग-अलग होगी। कुछ बच्चे निरक्षर होंगे। कुछ ऐसे भी होंगे जिन्होंने बीच में पढ़ाई छोड़ दी थी और थोड़ा बहुत लिखना-पढ़ना जानते हैं। अतः ऐसी हालत में सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाना ठीक नहीं होगा उन्हें कई समूहों में बांटना आवश्यक हो जाएगा। कोशिश यह हो कि समूह कम से कम बनें। लेकिन यदि आवश्यकता है तो अधिक संख्या में समूहों को बनाने से न घबरायें।

बच्चों को समूहों में विभाजित करने के लिए यदि जरूरत हो तो नीचे लिखी बातों का सहारा लिया सकता है।

1. लगभग समान उम्र के बच्चों को एक ही समूह में रखा जा सकता है।
2. लगभग समान योग्यता और ज्ञान के बच्चों के समूह बनाये जा सकते हैं यदि उनकी उम्र में अधिक अन्तर न हो।
3. कुछ दिन पढ़ाने के बाद योग्यता के आधार पर पुराने समूह तोड़कर नये समूह बनाये जा सकते हैं।
4. समूह बनाने का एक अन्य आधार उनके काम-धन्धे भी हो सकते हैं। एक जैसे काम धंधे वाले बच्चों को एक समूह में रखकर उनके काम धंधों के ज्ञान का लाभ लेकर उन्हें शिक्षा दी जा सकती है।

केन्द्र चलाने में आनेवाली कठिनाइयां

जिस तरह के बच्चों के लिए हम इस शिक्षा का आयोजन कर रहे हैं और जिन परिवारों से ये बच्चे आएंगे उनकी अनेक तरह की समस्याएं होंगी। ये समस्याएं इतनी प्रभावशाली हैं कि इनका असर केन्द्र के संचालन पर सीधा पड़ेगा। इन्हीं समस्याओं के अन्दर बच्चों के न पढ़ पाने के कारण भी छिपे होंगे। अतः यह आवश्यक है कि शिक्षक इन सारी समस्याओं की जानकारी अपने पास रखे ताकि वह ऐसी स्थितियों का सामना अपनी सूझबूझ से कर सके और बच्चों को केन्द्र पर लाने में सफल हो। शिक्षक ने पहले ही बच्चों के बारे में कुछ जानकारी एकत्रित कर ली है उनका भी लाभ शिक्षक उठाए। ये समस्यायें बहुत सी हो सकती है जैसे जातिवाद की समस्या। कुछ विशेष जाति के लोग केन्द्र खोलने का विरोध भी अन्दर ही अन्दर कर सकते हैं। अतः

हो सकता है कि एक दल के लोग दूसरे दल में हो रहे किसी भी काम को नहीं होने दें। इसी तरह अंधविश्वास, बालविवाह, लड़कियों के प्रति उदासीनता, छुआछूत, मालिक और नौकर की भावना, आदि अनेक ऐसी समस्यायें हैं जो केन्द्र के खुलने में बाधक हो सकती हैं। अतः शिक्षक को इन समस्याओं की जानकारी होना आवश्यक है और इन जानकारियों के आधार पर ही वह इन समस्याओं को निबटा सकेगा। वैसे तो शिक्षक उसी क्षेत्र का होगा इसलिए वह इन समस्याओं को जानता ही होगा। लेकिन यदि शिक्षक आस-पास के क्षेत्र से आकर शिक्षा का यह काम कर रहा है तो उसे ये सारी बातें जानना जरूरी है। शिक्षक को इन बातों की जानकारी अपने ढंग से मालूम करनी होगी। क्योंकि कुछ लोग सीधे-सीधे शायद नहीं बतायेंगे। विशेषकर गांव में तो वे अपनी समस्या भी शिक्षक को सीधे रूप में नहीं बताते। यह शिक्षक के व्यवहार और सूझबूझ पर ही निर्भर है कि वह कैसे सारी बातों का पता लगाए। इसलिए शिक्षक अगर नीचे लिखी बातों पर ध्यान दे तो उसका काम बहुत हद तक आसान हो जाएगा।

1. जाति धर्म और दलों से संबंधित किसी भी विषय पर शिक्षक बहस में न उलझे।
2. शिक्षक की अपनी मान्यताएं या विचार भी होंगे और हो सकता है कि वे दूसरों की मान्यताओं या विचारों से अलग हों। ऐसी हालत में उसे अपनी मान्यताओं को प्रकट नहीं होने देना चाहिए।
3. शिक्षक को अपने क्षेत्र के लोगों के आपसी झगड़ों से अपने आपको दूर रखना चाहिए और सभी से समानता का व्यवहार करना चाहिए।
4. अपने क्षेत्र के प्रमुख व्यक्तियों को उचित सम्मान यदि शिक्षक देता रहे तो उसको हमेशा सहयोग मिल सकता है।

केन्द्र आयोजन के बारे अंत में यह कह देना आवश्यक है कि इन बातों की चर्चा यहां इसलिए की गई है कि शिक्षक केन्द्र आयोजन के बारे में विस्तार से जाने। जो बातें बताई गई हैं वे अंतिम सत्य नहीं हैं। असली काम तो शिक्षक को करना है और कार्य करते समय जो कठिनाइयां उसके सामने आएंगी उनसे खुद उसी को निबटना होगा। हो सकता है कि ऊपर कही गई बातें उसके काम को आसान बनाएं।

3. शिक्षण

अभी तक जो बातें हमने की हैं उनके आधार पर यह तो साफ हो ही गया होगा कि जो शिक्षा हम बच्चों को देने जा रहे हैं वह क्या है। साथ ही यह भी मालूम हो गया होगा कि इस तरह की शिक्षा देने के लिए हमें किन-किन बातों को ध्यान में रखना होगा, कौनसी सावधानियां बरतनी होंगी और किस प्रकार केन्द्रों को शुरू करना होगा।

जब केन्द्र इस काम को करने के लिए बन जाएं और बच्चे केन्द्र पर आने के लिए तैयार हों या आना प्रारंभ कर दें तब हमारा असली काम शुरू होगा यानी कि वह शिक्षा देना जिसके लिए यह सारा आयोजन किया गया है।

शिक्षा का यह कार्यक्रम मोटे तौर पर दो वर्षों का है। अर्थात् जो शिक्षा हमें बच्चों को देनी है या जितनी योग्यता उनमें पैदा करनी है उसके लिए लगभग दो वर्ष का समय काफी होगा ऐसा सोचा गया है। लेकिन दो वर्षों की यह सीमा बच्चों के लिए कोई बंधन नहीं है। हो सकता है कि कुछ बच्चे इतनी शिक्षा प्राप्त करने में अधिक समय लगाएं तो हम उन्हें पास-फेल के आधार पर रोकेंगे नहीं। वे जब तक उस योग्यता को प्राप्त नहीं कर लेते लगातार पढ़ते रह सकेंगे। कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जो इसी शिक्षा को कम समय में पूरा कर लेंगे तो उन्हें आगे पढ़ने के लिए और सामग्री दी जाएगी या वे चाहेंगे तो उन्हें वर्तमान स्कूलों में आगे पढ़ने के लिए प्रवेश दिलाया जाएगा। इस शिक्षा को प्राप्त करने के लिए यदि कोई बच्चा नए सिरे से प्रारंभ करता है तो सामान्य तौर पर वह लगभग दो वर्ष में इसे पूरा कर लेगा ऐसा सोचा गया है।

इस तरह केन्द्र पर शिक्षा का काम शुरू करने के लिए पहले छः महीने के कार्यक्रम के लिए शिक्षक को एक प्रवेशिका और इस प्रवेशिका की एक संदर्शिका दी गई है।

प्रवेशिका के द्वारा ही शिक्षक को सबसे पहले बच्चों को लिखना-पढ़ना सिखाना है और अंकों का परिचय देना है। यह आपको किस तरह करना होगा इसकी विस्तार से चर्चा प्रवेशिका की संदर्शिका में की गई है।

भाषा और गणित की शिक्षा के साथ ही दूसरी क्रियाएं भी केन्द्र पर चलती रहेंगी जिनके द्वारा बच्चा और आवश्यक बातें सीखता चलेगा और इनके सीखने में इस समय लिखने पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। अतः अगले पृष्ठों में यहां कुछ ऐसे विषयों पर चर्चा की जा रही है जिनका ज्ञान शिक्षक को साथ-साथ देते चलना है। साथ ही किस तरह बच्चों के सामने इन विषयों को रखा जाए उन तरीकों या विधियों के बारे में भी बात-चीत की जा रही है। शिक्षा देने की कुछ ऐसी आम विधियों या आम तरीकों की चर्चा भी यहाँ हम अलग से कर रहे हैं जिनका उपयोग विषय के आधार पर किया जा सकता है।

यहां एक बार फिर से यह कहना ठीक होगा कि ये शिक्षण विधियां ऐसी हैं जो विषयों को नीरस नहीं बनने देंगी। बच्चे उनमें रुचि लेंगे और उनमें सीखने का उत्साह जागेगा। फिर भी यह शिक्षक पर ही निर्भर होगा कि वह इनका उपयोग कैसे कर सकता है। यदि आवश्यक है तो इनमें फेर-बदल भी किया जा सकता है और अपनी सूझ-बूझ से शिक्षक नई विधियों को भी अपना सकता है।

शिक्षा देने की कुछ सामान्य विधियां

यहां शिक्षा देने की कुछ विधियां या तरीके दिये जा रहे हैं। यह शिक्षक को ही निर्णय करना होगा कि वह किस तरीके का उपयोग किस विषय को पढ़ाने के लिए करे। कोई आवश्यक नहीं कि एक विषय के लिए शिक्षक एक ही विधि को काम में लाए एक साथ कई विधियों का सहारा भी उसे लेना पड़ सकता है।

1. बातचीत और सामूहिक चर्चा

बातचीत और सामूहिक चर्चा का अर्थ यहां यह है कि शिक्षक बच्चों से बात-चीत करके उनकी बहुत सी समस्याओं का पता लगा सकता है और उनमें से किसी

भी महत्वपूर्ण समस्या को आधार बनाकर बच्चों के समूह में उस पर चर्चा कर सकता है। बच्चे अपने-अपने विचार शिक्षक के सामने रखेंगे। उनके आधार पर शिक्षक बच्चों की सहायता से किसी निर्णय पर पहुंच सकता है और फिर उन्हें आवश्यक जानकारी दे सकता है। हो सकता है कुछ समस्याओं के बारे में बच्चों के अपने विचार हों जो सही भी हो सकते हैं और गलत भी। शिक्षक इन्हें चर्चा का आधार बनाकर सही बातें बता सकता है।

यह ऐसी विधि है जिसका प्रयोग शिक्षक को शायद लगभग कई विषयों में करना होगा क्योंकि बातचीत और सामूहिक चर्चा तो सभी जगह आवश्यक होगी। बच्चों से चर्चा करते समय उनके उच्चारण, शब्दों व वाक्यों से संबंधित गलतियों में सुधार भी किया जा सकता है।

2. कहानी, अनुभव, चुटकले आदि

कहानी, अनुभव और चुटकलों के द्वारा बच्चों के सामने समस्या रखने में आसानी होती है। अत: शिक्षक कभी-कभी किसी कहानी को सुनाकर अपना काम प्रारंभ कर सकता है। कभी-कभी किसी बात को समझाने के लिए उदाहरण की जरूरत पड़ सकती है। ऐसी हालत में अनुभव सुनाना अधिक अच्छा होता है क्योंकि बच्चों को उसपर विश्वास हो जाता है वे आसानी से समझ जाते हैं। कभी-कभी कोई चुटकला भी समस्या को समझाने में, बात को स्पष्ट करने में मदद देता है अतः इसका भी उपयोग जब जरूरत पड़े किया जा सकता है। इन चीजों का उपयोग सबसे बड़ा यह होता है कि बच्चों का मन भी पढ़ाई में रमा रहता है कहानी, अनुभव या चुटकलों को सुनाने में बच्चे रस लेते हैं। बच्चों के अनुभवों को सुनना भी इसी में शामिल है।

3. गीत, कविता और लोकगीत

गीत, कविता और लोकगीत आदि के द्वारा बच्चों की भावनाओं को जाग्रत करना ही मुख्य उद्देश्य होता है। हम अपने शिक्षण के बीच में जहां आवश्यक हो इनका उपयोग कर सकते हैं। क्योंकि हम बच्चों को चाहे जितना अच्छा पढ़ायें, एक समय ऐसा

आ ही जाता है जब वे ऊबने से लगते हैं। इसलिए इस ऊब को तोड़ने का काम इनके द्वारा हो सकता है। उन्हें सीखने के बीच आराम भी मिल सकता है और उनमें ताजगी भी आ सकती है। इसके अलावा पढ़ाई के बीच किसी प्रसंग को स्पष्ट करने का काम भी इनके द्वारा हो सकता है। लोकगीतों के बारे में यह ध्यान रखना होगा कि वे वही हों जो अच्छी भावनाएं जाग्रत करते हों।

4. अभिनय

बच्चा जो भाषा बोलता है और अब वह उसे जिस तरह लिखना और पढ़ना सीख रहा है उस भाषा के बोले जाने के व्यावहारिक रूप या यह कहें कि अपने आपको अच्छी तरह अभिव्यक्त करने के रूप को अभिनय के द्वारा बहुत संवारा जा सकता है यह विधि खासतौर पर भाषा के सीखने में ही अधिक सहायता दे सकती है। इस विधि से बच्चों के अन्दर की भावनाओं को प्रकट होने का भी मौका मिलता है जिससे उनमें आत्म-विश्वास और हिम्मत पैदा होती है।

5. खेलकूद

बहुत सी बातें बच्चों को खेलकूद के द्वारा भी बताई जाती हैं। कुछ खेल तो ऐसे होते हैं जो मैदान में खेले जाते हैं किन्तु कुछ ऐसे हो सकते हैं जिनके द्वारा पढ़ाई के समय में ही सिखाया जा सकता है और विशेष रूप से सीखी हुई बातों का अभ्यास करवाया जा सकता है। जैसे शब्द बनाने का खेल, अंत्याक्षरी या गणित में कुछ अंकों के खेल हो सकते हैं। के खेल मैदान में अनुशासन, नियम आदि के अलावा मैदान की नाप-जोख आदि की बातें भी सिखाई जा सकती हैं।

6. भ्रमण

शिक्षक आस-पास के वातावरण का अध्ययन कराने के लिए बच्चों को भ्रमण के लिए बाहर ले जा सकता है। भ्रमण के द्वारा शिक्षा देने में यह बात ध्यान में रखनी होगी कि वह कोरा घूमना फिरना न हो जाए। भ्रमण के लिए कोई न कोई उद्देश्य

पहले से तय होना चाहिए। बच्चों को पहले से कुछ बातें बता दी जाए जिन्हें वे नोट करें। फिर भ्रमण के बाद उन जानकारियों पर चर्चा करके शिक्षक बच्चों द्वारा एकत्रित जानकारियों को व्यवस्थित करके उन्हें आवश्यक शिक्षा दें।

7. अवलोकन

अवलोकन विधि का तात्पर्य है कि बच्चे किसी चीज को देखकर समझने की कोशिश करें। अर्थात् एक तरह से यह विधि हुई, देखो और बताओ। इस तरीके में जो कुछ भी बच्चों को दिखाया जाता है उसमें चाही गई जानकारी के सवाल बच्चों को बता दिए जाते हैं और इन्हीं सवालों को ध्यान में रखकर बच्चे किसी वस्तु या घटना को देखते हैं और आवश्यक जानकारी इकट्ठी करते हैं। पहले कही गई भ्रमण की विधि में जैसे बच्चे भ्रमण पर जाएंगे लेकिन अवलोकन के द्वारा ही जानकारी एकत्रित करेंगे। अंतर यही है कि भ्रमण में हमारा ध्यान आस-पास के परिवेश या वातावरण के अध्ययन पर अधिक होता है लेकिन अवलोकन विधि का उपयोग हम कहीं भी कर सकते हैं।

8. प्रदर्शन

इस विधि का संबंध शिक्षक की क्रिया से अधिक है अर्थात् शिक्षक स्वयं बच्चों के सामने जो कुछ करके बताता है उसे ही प्रदर्शन कहेंगे। इसमें कई बातें आ सकती है। जैसे शिक्षक बच्चों को कोई प्रयोग करके दिखाए और बच्चे उसे ध्यान से देखें और करें। फिर शिक्षक बच्चों से प्रश्न पूछे।

इसके साथ ही पहले से तैयार कुछ सामग्री को भी शिक्षक बच्चों को दिखा सकता है। जैसे किसी विषय के बारे में कोई पोस्टर, चार्ट या फ्लैश कार्ड्स इत्यादि। चित्रों के प्रदर्शन से भी कोई बात समझाई जा सकती है। इसमें बच्चों को चार्ट्स, चित्र या फ्लैश कार्ड्स दिखाए जाते हैं और उनपर फिर बच्चों से प्रश्न किए जाते हैं कि वे उनमें क्या देख रहे हैं और इस तरह उन्हें आवश्यक जानकारी या शिक्षा दी जाती है।

9. करके सीखना

इस विधि में शिक्षक बच्चों से किसी कार्य को करने के लिए कहेगा और बच्चें उसे करते हुए स्वयं सीखते चलेंगे। शिक्षक उन्हें काम करने के पहले कुछ बातें बताये और बीच-बीच में उनका निरीक्षण करता चले तथा जहां जरूरत हो उनकी सहायता करता चले। इस तरह बच्चे काम करते हुए काम का अनुभव प्राप्त कर सकेंगे और बहुत सी नई बातें भी सीखते चलेंगे। जैसे सफाई के लिए बच्चों के द्वारा ही गन्दे पानी के निकास के लिए गड्ढे खुदवाना या मिट्टी, लकड़ी, सरकंडे आदि से कोई माडल बनवाना, साथ काम करके सहयोग की भावना का विकास करना इत्यादि।

10. उत्पादन कार्य

जिन बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं उनमें से बहुत सारे ऐसे होंगे जो कुछ काम धंधे भी करते होंगे। इन काम धंधों को भी शिक्षा का आधार बनाया जा सकता है। अर्थात् वे जो कुछ कर रहे हैं इसी के द्वारा कई बातों की शिक्षा दी जा सकती है। इसके साथ ही उन्हें कुछ उत्पादक कार्यों की शिक्षा भी दी जा सकती है जिससे उनकी कमाई में वृद्धि हो सके। जैसे बच्चे जो काम धन्धे कर रहे हैं उन्हें और आगे बढ़ाने तथा पहिले से अधिक अच्छी तरह करने की शिक्षा दी जा सकती है और उनके आस-पास जो वस्तुएं आसानी से मिल सकती हैं उनकी मदद से नई चीजों के उत्पादन की प्रेरणा भी बच्चों को दी जा सकती है।

11. खोजबीन

इस विधि के द्वारा बच्चे स्वयं ही चीजों का पता लगाकर जानकारी इकट्ठी करते हैं। शिक्षक को चाहिए कि पहले वह बच्चों के सामने समस्या रख दे और उन्हें समझा दे कि उसे किस तरह की जानकारी चाहिए। इसके लिए शिक्षक को पहले से कुछ प्रश्न या तालिका बनाकर देने पड़ सकते हैं जिनके आधार पर बच्चे स्वयं पता लगाकर वह जानकारी इकट्ठी कर सकते हैं। फिर शिक्षक इस जानकारी के आधार

पर बच्चों को पढ़ाये। उदाहरण के लिए अपने क्षेत्र की जानकारी के लिए संपर्क के द्वारा अलग-अलग आंकड़े एकत्रित करवाये जा सकते हैं। अपने आस-पास का अध्ययन करने के लिए भी इसी तरह की जानकारियां या आंकड़े बच्चों से एकत्रित करवाई जा सकती है। इस विधि के द्वारा बच्चों में जानने की उत्सुकता पैदा होती है और जब वे कुछ चीजें स्वयं खोज कर जान लेते हैं तो वे उनके जीवन का हिस्सा बन जाती हैं।

यहां जिन सामान्य विधियों के बारे में जो बातचीत की गई है वह इसलिए कि पढ़ाने के लिए किन-किन तरीकों का प्रयोग हम कर सकते हैं। जैसा कि पहले भी कहा गया है, यह बात ध्यान में रखना आवश्यक है कि किसी एक विधि का प्रयोग करते हुए हमें अन्य विधियों का सहारा भी लेना पड़ सकता है क्योंकि ये सारी विधियां एक-दूसरे पर बहुत हद तक निर्भर हैं जैसे खोजबीन करने को जब हम बच्चों से कहेंगे तो आवश्यकता पड़ने पर कहीं-कहीं उन्हें पहले चीजों का अवलोकन करना होगा तभी वे जानकारी एकत्रित करेंगे। अत: कोई भी विधि अपने-आप में पूरी नहीं होती वरन् वे एक दूसरे पर आधारित होती हैं।

इसलिए शिक्षक पर ही यह निर्भर करता है कि वह किस प्रकार किस कुशलता से इन बातों का उपयोग कर सकता है।

आगे हम कुछ विषयों की विस्तारपूर्वक चर्चा कर रहे हैं और साथ ही उनको किस तरह से पढ़ाया जा सकता है इसकी भी चर्चा उसमें जुड़ी हुई है।

4. उदाहरणीय पाठ

इस अध्याय में कुछ पाठ उदाहरण के रूप में दिए गए हैं। इनकी विषय वस्तु का चुनाव प्रवेशिका में उठाई गई समस्याओं तथा विस्तृत पाठ्यक्रम में से किया गया है इन पाठों में पाठ्यक्रम की सभी समस्याओं या प्रत्येक समस्या के सभी पहलुओं को नहीं उभारा गया है। पर जितने पहलू यहां दिए गए हैं वे छः मास से एक वर्ष तक के लिए पर्याप्त होंगे। कई विषयों पर लघु पुस्तिकायें बनाई जा रही हैं जो शिक्षण के दौरान उपलब्ध कराई जाएंगी।

इन विषयों में से प्रत्येक को ग्रामीण, आदिम या शहरी परिवेश को ध्यान में रखकर लिखा गया है। पर इनमें से अधिकांश ऐसे हैं जो प्रत्येक क्षेत्र के लिए सामान्य रूप से लागू होते हैं या थोड़े-बहुत फेर बदल के बाद उपयोग में लाए जा सकते हैं।

1. सफाई

हमारे देश में अधिकतर सफाई पर ध्यान नहीं दिया जाता है। कूड़ा-करकट घर के बाहर फेंकना, गड्ढों में पानी भरा रहना, कुएं के पास कीचड़ रहना, शरीर को खुजलाते रहना, बच्चों के कान व आंख दुखना, महिलाओं के सिर में से जूं निकलते रहना, हाथ-पैर गंदे रहना आदि ऐसी घटनायें हैं जो लगभग रोजाना देखी जा सकती हैं। ऐसा लगता है कि वे सफाई की आवश्यकता व लाभ से परिचित नहीं हैं। सफाई को हम मोटे तौर पर व्यक्तिगत सफाई और पास-पड़ोस की सफाई के रूप में ले सकते हैं। सफाई सम्बन्धी कुछ समस्याओं को दूर करने में धन की आवश्यकता हो सकती है लेकिन अधिकतर समस्याएं बच्चों में सफाई के प्रति जागरुकता और उचित दृष्टिकोण का विकास करके हल की जा सकती है। बच्चों में सफाई के प्रति जागरुकता और सही दृष्टिकोण का विकास करने के लिए शिक्षक निम्नलिखित क्रियाकलाप स्वयं कर सकता है और बच्चों से भी करवा सकता है।

1. **कहानी**—एक साफ सुथरे बच्चे की कहानी सुनाएं। कहानी में बच्चे के समय पर उठने, हाथ मुंह धोने व दांत, नाक, कान आदि साफ करने, नहाने, घर की सफाई में माता-पिता का हाथ बंटाने, आदि की चर्चा हो। कहानी सुनाते समय सफाई के विभिन्न पहलुओं पर बच्चों का ध्यान विशेष रूप से आकर्पित करावें। बच्चों को भी यदि ऐसी कोई कहानी या कहावतें याद हो तो उन्हें सुनाने के लिए कहें।

2. **चर्चा**—बच्चों से चर्चा करते समय निम्निलिखित बातों को आधार बनाया जा सकता है—

(1) हाथ-मुंह धोते समय बाल, कान, नाक व दांत की सफाई क्यों आवश्यक है?

(2) दांत, कान व आंख की सफाई कैसे करते हैं?

(3) नहाने से क्या लाभ है ?
(4) त्वचा के साफ न रहने से कौन-कौन सी बीमारियां हो जाती हैं ?
(5) घर की सफाई में आप किस प्रकार मदद कर सकते हैं ?
(6) पास-पड़ोस की सफाई क्यों आवश्यक है ?
(7) कुएं के पास पानी भरा रहने व कीचड़ रहने से क्या नुकसान है ?

शिक्षक बच्चों से चर्चा करते समय यह भी बतलएगा कि—

(1) दांतों की सफाई के लिए नीम या बबूल की दातून अच्छी रहती है
(2) नहाने के लिए साबुन के अभाव में नीम के पत्ते काम में लाए जा सकते हैं।
(3) गंदी त्वचा के कारण खुजली, दाद, फोड़े-फुंसी आदि बीमारियां हो जाती हैं। फोड़े-फुंसी के इलाज के लिए पानी में नीम के पत्ते उबाल लें। फिर इस पानी से फोड़े-फुंसी धोएं। इनके सही उपचार के लिए प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र या डाक्टर की सलाह लेनी चाहिए।
(4) गंदगी से हवा और पानी भी दूषित हो जाते हैं। गंदा पानी पीने से भी कई बीमारियों के कीटाणु हमारे शरीर में चले जाते हैं।
(5) गड्ढों या कुएं के पास पानी इकट्ठा हो जाने से मच्छर हो जाते हैं। मच्छरों से मलेरिया होता है। पानी से भरे गड्ढों पर मिट्टी का तेल डाल देना चाहिए।
(6) शौच आदि के लिए आबादी से दूर जाना चाहिए और मल को मिट्टी से ढक देना चाहिए।
(7) घर के पीछे एक गड्ढा (सोकपिट) बनाना चाहिए। घर का गंदा पानी नाली के द्वारा इस गड्डे में जाने से घर भी साफ रहेगा और पास-पड़ोस भी। गड्ढा ढका हुआ रहना चाहिए।
(8) घर की लिपाई-पुताई समय-समय पर होती रहने से घर में सफाई करने में आसानी रहती है। इसके अलावा घर में मच्छर भी कम होते हैं।

3. **कार्यकलाप**—बच्चों के द्वारा निम्नलिखित कार्यकलाप करवाये जा सकते हैं—

(1) एक बच्चे के हाथ-पैर केन्द्र पर धुलाएं। हाथ-पैर धुलाने के बाद वाले पानी को किसी बरतन में इकट्ठा करें। अब बच्चों को यह पानी दिखाएं और पूछें : क्या यह पानी गंदा है ? यह गंदगी कहां से आई ?

(2) हर पंद्रहवें दिन बच्चों के नाखून कटवायें। यह कार्य बच्चों को ही करने दें।

(3) पास-पड़ोस के गड्ढों को बच्चों की सहायता से भरा जा सकता है।

(4) यदि कुएं के पास पानी इकट्ठा होता हो या कीचड़ होता हो तो उसको दूर करने के लिए नाली आदि बनाने के लिए भी बच्चों की सहायता ली जा सकती है।

(5) घरों के पीछे सोकपिट बनाने के लिए भी बच्चों को प्रोत्साहित करें जिससे कि घर व पास पड़ोस में गंदगी न हो।

(6) उचित स्थानों पर कचरा-पात्र बनाएं तथा उनमें घर का कूड़ा-करकट डालने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करें।

(7) उपलब्ध चिकित्सा के द्वारा बच्चों के नाक, कान, आंख व दाँत की जांच कराई जा सकती है।

(8) संभव हो तो चिकित्सक आदि से सफाई पर वार्ता कराई जा सकती है।

(9) केन्द्र की सफाई की जिम्मेदारी भी बच्चों पर डालें।

4. **चार्ट**—चार्ट या फ्लैश कार्ड्स की सहायता से व्यक्तिगत सफाई तथा पास-पड़ोस की सफाई के बारे में चर्चा करें।

2. छूत की बीमारियां

कई रोग ऐसे होते हैं जो कि एक आदमी से दूसरे आदमी तक पहुंचते हैं और इस प्रकार फैलते जाते हैं। इन रोगों को छूत के रोग कहते हैं। जैसे तपेदिक से बीमार आदमी के सम्पर्क में आने पर कई लोगों को यह रोग लग सकता है। हर छूत का रोग कीटाणुओं के कारण होता है। इन कीटाणुओं को हम आंख से देख नहीं सकते। ये कई माध्यमों द्वारा रोगी आदमी से स्वस्थ आदमी तक पहुंचते हैं। मतलब यह है कि जब रोगी आदमी से उस रोगके कीटाणु स्वस्थ आदमी में प्रवेश कर जाते हैं तो वह आदमी भी रोगी हो जाता है।

छूत के रोग कई माध्यमों से फैलते हैं। जैसे,

क. हवा द्वारा

ख. पानी द्वारा

ग. भोजन द्वारा

घ. मक्खी, मच्छर, जुआँ, खटमल आदि जन्तुओं द्वारा

ङ. कपड़ों द्वारा

च. रोगी से सम्पर्क द्वारा

आम तौर से हमारे देश में प्रमुख छूत के रोग निम्न हैं।

क. **पेट के रोग**—हैजा, पेचिश, आंव-खून का रोग

ख. **बुखार वाले रोग**—टायफायड, मलेरिया, इन्फ्लूएंजा, चेचक (बड़ी और छोटी), तपेदिक

ग. **चमड़ी के रोग**—दाद, खाज वगैरह

घ. **आंख के रोग**—आंख उठना

ङ. **मुंह, गले आदि के रोग**—पायरिया, गले की खराश, खांसी आदि

इन रोगों के अलावा भी आप के क्षेत्र में कई अन्य छूत के रोग होंगे। इस तालिका में उन्हें भी शामिल किया जा सकता है। कुछ रोग एक से अधिक माध्यमों से फैलते हैं, जैसे टायफाइड या मियादी बुखार गंदे पानी, भोजन, मक्खी और रोगी के निकट आने पर हो सकता है। इसी प्रकार आंव-खून का रोग भी गंदे भोजन, पानी, मक्खी और गंदे नाखूनों द्वारा फैलता है। दाद-खाज जैसे चमड़ी के रोग अस्वच्छ रहन-सहन, गंदे कपड़ों और सम्पर्क द्वारा फैलते हैं। परन्तु कुछ रोग केवल मच्छरों के काटने से या मक्खी द्वारा फैलते हैं। हैजा मक्खी द्वारा तथा मलेरिया मच्छर के काटने से फैलता है। जब मच्छर बीमार आदमी का खून चूसने के बाद स्वस्थ आदमी का खून पीता है तो रोग के कीटाणु भी शरीर में डाल देता है। इसी प्रकार मक्खी जब रोगी के मल पर बैठकर किसी के भोजन पर बैठती है तो मल के कीटाणु भोजन तक पहुँचा देती है उस भोजन को खाने वाला रोगी हो जाता है। इसी प्रकार किसी भी छूत के रोगी का कपड़ा भी दाद, खाज या आँख के रोग फैलाने में सहायक होता है।

आप ध्यान दें तो पाएंगे कि करीब-करीब सभी छूत के रोग तथा इन्हें फैलाने वाले जन्तु गंदगी में पैदा होते हैं। अत: अगर शिक्षक इस विषय पर चर्चा करते समय सफाई के महत्व पर जोर दे तो बात अधिक उपयोगी बन जाती है।

इस प्रकरण को पढ़ाने के लिए अच्छा होगा कि शिक्षक बच्चों से कुछ इस प्रकार के प्रश्न पूछे कि जिससे उनमें इसे जानने की उत्सुकता पैदा हो। जैसे कि यह पूछा जा सकता है कि तुममें से किसी को कभी जाड़ा लग कर बुखार आया है? कोई न कोई बच्चा अवश्य हां कहेगा। फिर उस बच्चे से उसके अनुभव सुनिये। ये अनुभव रोग के लक्षण होंगे। शिक्षक इसका सारांश कक्षा को वहीं पर बता सकता है। अब शिक्षक पूछ सकता है कि क्या तुम्हें रात को मच्छर तो नहीं काटते। यह तय बात है कि वहां मच्छर होंगे ही। अब शिक्षक इस बात की जानकारी दे सकता है कि मलेरिया मच्छर के काटने से होता है तथा मच्छर गंदी जगहों पर जहां पानी होगा वहीं अंडे बच्चे पैदा करता है। अत: सफाई द्वारा मच्छरों पर तथा मलेरिया पर काबू पाया जा सकता है। इसी प्रकार अन्य छूत के रोगों पर भीं परिचर्चा कराई जा सकती है तथा बातचीत द्वारा रोगों से बचने के उपायों का ज्ञान कराया जा सकता है।

शिक्षक बच्चों को उन जगहों पर ले जा सकता है जहाँ कि वास्तव में गंदगी है तथा गंदे पानी का रुकाव है और यदि सम्भव हो तो उसे दूर कराने में बच्चों या क्षेत्र के अन्य लोगों का सहयोग ले सकते हैं। ध्यान रहे कि यदि कहीं पानी रुका हुआ हो तो सात दिनों में ही वह मच्छरों का अड्डा बन जाता है।

इन रोगों के लक्षण, उपचार और रोकथाम के बारे में प्राथमिक स्वास्थ केन्द्र के अधिकारी या कर्मचारी की सहायता भी ली जा सकती है।

कभी-कभी कहानी का सहारा भी लिया जा सकता है जैसे सोहन ने उस दिन दावत में इतना भोजन किया कि उसकी तबियत खराब हो गयी तथा उसे अपच हो गई। लोगों ने झाड़-फूँक द्वारा उसका इलाज करवाया तथा सोहन की हालत और अधिक खराब हो गयी। बाद में डाक्टर ने उसे ठीक किया। इस तरह की कहानियों के माध्यम से एक ओर तो आप अंधविश्वास पर चोट करते हैं तथा दूसरी ओर बीमारी का सही कारण बनाते हैं।

बच्चों में सफाई की आदत का बराबर ध्यान रखने पर भी जोर देना होगा जैसे शिक्षक इस बात पर जोर दे कि बच्चे रोज नहाते हैं या नहीं। उनके दांत-आंख नाखून, कपड़े वगैरह साफ हैं कि नहीं। कपड़े फटे भले हों पर धुले हुए अवश्य होने चाहिए। क्या वे हाथ या कोई चीज मुँह, आँख या नाक में तो नहीं डालते। किसी भी चीज से दाँत या कान खोदना जान लेवा हो सकता है।

यदि आपके पास हों, तो चार्टो द्वारा भी रोगों के लक्षण, कारण व बचने के उपायों को समझाया जा सकता है। साथ ही गाँव में आमतौर से पाए जाने वाले छूत के रोगों की सूची भी बनवाई जा सकती है।

चूंकि आप छूत के रोगों के बारे में बता रहे हैं तो ऐसी गलती कभी न करें कि बच्चों को छूत के रोगी के घर या अस्पतालों में ले जाएं क्योंकि इनसे रोग फैलने का डर बढ़ जाएगा। इस विषय को यदि आपने अत्यन्त रोचक ढंग से पढ़ाना प्रारम्भ कर दिया तो बच्चे स्वयं बहुत सी जानकारी आपको देंगे। आपको केवल उनके द्वारा दी हुई जानकारियों को व्यवस्थित करना होगा तथा समझना होगा। परन्तु सबसे

महत्वपूर्ण बात होगा स्वच्छ रहन-सहन पर जोर देना तथा उनमें इसकी आदत डालना। इसके लिए शिक्षक को बराबर सतर्क रहना पड़ेगा तथा प्रत्येक बच्चे की आदतों को ध्यान पूर्वक देखना होगा तथा उन्हें सुधारने का प्रयत्न करना होगा।

3. भोजन और पोषण

भोजन की जरूरत से हम सभी परिचित हैं। स्वथ्य रहने के लिए उचित भोजन अवश्य मिलना चाहिए। सही खाना न मिलने से शरीर कमजोर हो जाता है, बच्चों की शारीरिक बृद्धि रुक जाती है तथा बच्चों और बड़ों में कई तरह की बीमारियाँ भी हो जाती हैं।

सही भोजन क्या है? हम जो भी भोजन करते हैं उनमें सामान्यत: क्या कमियाँ होती हैं? हम इन कमियों को कैसे पूरा कर सकते हैं? भोजन में किन तत्वों की कमी से कौन-कौन सी बीमारियाँ होती हैं? ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनके उत्तर हर व्यक्ति को जानना चाहिए। यहाँ यह भी बता देना जरूरी है कि पौष्टिक भोजन केवल बहुत अधिक खर्च करके ही प्राप्त नहीं किया जा सकता। कई सम्पन्न परिवारों में भी अच्छे भोजन के नाम पर लिया गया भोजन पौष्टिकता की दृष्टि से बहुत अच्छा नहीं होता क्योंकि जानकारी की कमी के कारण इनमें अक्सर कई आवश्यक तत्वों की कमी रहती है।

भोजन की आवश्यकता, महत्व, भोजन में सुधार, तथा अपूर्ण और अनुचित आहार के कारण जो बीमारियाँ अक्सर हो जाती हैं, उनके बारे में आप बच्चों को निम्नलिखित क्रिया कलापों तथा चर्चाओं के द्वारा बता सकते हैं।

1. बच्चों से इस पर चर्चा करें कि वे सुबह से शाम तक क्या-क्या खाते पीते हैं। कुछ बच्चों के सामान्य दैनिक भोजन की एक सूची भी बना सकते हैं। बच्चों द्वारा दी गई सूचना में काफी विभिन्नता पाई जा सकती है। इससे बच्चों को इस निष्कर्ष पर लाएं कि भोजन में विविधता एक साधारण बात है।
2. भोजन की इन विविधताओं पर चर्चा करें और प्रश्नोत्तर द्वारा

साधारणत: लिए गए भोजन के नाम लिखकर उनके कुछ समूह बनाएं।
जैसे :

समूह 1. चावल, गेहूँ, मक्का, जौं, बाजरा
समूह 2. घी, तेल, मक्खन, वनस्पति घी
समूह 3. चीनी, गुड़, मिठाइयाँ
समूह 4. दालें, फलियाँ, चना
समूह 5. दूध, दही, मट्ठा
समूह 6. अंडे, माँस, मछलियाँ
समूह 7. फल सब्जियाँ, पत्तेदार सब्जियाँ

3. ऊपर बताए गए समूहों को ध्यान में रखते हुए बच्चों से यह पूछें कि उनके दैनिक भोजन में कौन-कौन से समूहों से कुछ न कुछ अवश्य लिया जाता है। इस प्रकार उनके भोजन में आवश्यक तत्वों की कमी का एहसास कराएं तथा इस पर चर्चा करें कि शाकाहारी भोजन में समूह-6 को छोड़कर सभी समूहों से प्रतिदिन कुछ न कुछ अवश्य लिया जाना चाहिए। यह भी बताएं कि मांसाहारियों में समूह-4 व 5 की कमी समूह-6 में दिए गए भोजनों से पूरी होती हैं।
4. बच्चों के लिए यह भी जानना आवश्यक है कि प्रत्येक भोजन समूह की वस्तुओं की क्या विशेषताएँ हैं और हमारे शरीर को इनकी जरूरत क्यों पड़ती है। उन्हें यह बताएँ कि समूह-1, 2 व 3 के पदार्थों से मुख्यत: हमें दैनिक जीवन में काम करने के लिए उचित शक्ति मिलती है। समूह-4, 5 व 6 के पदार्थ हमें ऐसे तत्व देते हैं जो शारीरिक वृद्धि के लिए खास तौर पर जरूरी होते हैं। समूह-7 से विशेषत: तथा अन्य समूहों से सामान्यत: (समूह-3 को छोड़कर) हमें ऐसे तत्त्व मिलते हैं जो शरीर की कई बीमारियों से रक्षा करते हैं तथा इनकी जरूरत शरीर के अन्दर हर क्षण हो रही क्रियाओं में पड़ती रहती है।
5. इस पूरी चर्चा से अगर ऐसी स्थिति सामने आए कि बच्चों के भोजन में

समूह-1 व 2 के पदार्थों की कुछ अधिक मात्रा हो तथा अन्य समूह छूट रहे हो तो उन्हें प्रेरित करें कि वे समूह-4, 5, 6 व 7 से कुछ न कुछ प्रतिदिन अवश्य लिया करें।

6 गाँव में बच्चों में पाई जाने वाली बीमारियों पर चर्चा करें तथा यह बताएं कि इनमें से कुछ बीमारियाँ भोजन में आवश्यक पौष्टिकता की कमी से भी होती हैं। उन्हें यह बताएँ कि अधिक दुर्बलता मुख्यत: समूह-1, 2, 3, 4, 5 व 6 के पदार्थों की कमी के कारण होती है। इसी तरह समूह-7 के पदार्थों की कमी से रतौंधी, रिकेट आदि की बीमारियाँ होती हैं।

यहाँ शिक्षक की जानकारी के लिए यह भी बता देना जरूरी है कि जिन पदार्थों से हमें दैनिक कार्यों के लिए शक्ति मिलती है उन्हें कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। इनकी मात्रा चावल, आलू, गेहूँ, मक्का, आदि अनाजों में अधिक होती है। इन अनाजों में प्रोटीन नामक पदार्थों की कमी होती है जो दालों, फलियों, दूध-दही, अंडों आदि में अधिक होती है।

घी, तेल, मक्खन आदि कम मात्रा में लिए जाते हैं क्योंकि कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन की तुलना में ये दुगुनी से भी ज्यादा शक्ति देते हैं। एक ग्राम चीनी या चावल में एक ग्राम घी या मक्खन से दूनी से भी ज्यादा शक्ति मिलती है।

इस प्रकार जहाँ घी, तेल, चीनी, चावल, गेहूँ, आदि हम शारीरिक शक्ति उत्पन्न करने के लिए खाते हैं वहीं प्रोटीन हमें शरीर में वृद्धि के लिए आवश्यक तत्व देते हैं।

कार्बोहाइड्रेट्स, घी-तेल, तथा प्रोटीन के अलावा कुछ अन्य तत्व भी हमारे भोजन में अवश्य होने चाहिए। ये दो समूहों के हैं—विटामिन तथा खनिज। ये हमें मुख्यत: हरी, पत्तेदार सब्जियों तथा फलों से प्राप्त होते हैं। साथ ही दूध, अंडे, अनाज, अंकुरित दालें आदि से भी प्राप्त होते हैं। इनका कार्य हमारे शरीर को बीमारियों से बचाना है।

शिक्षक यह भी ध्यान में रखे कि भोजन के ये पाँच समूह (रासायनिक समूह

कार्बोहाइड्रेट्स, चर्बी या वसा, प्रोटीन, विटामिन तथा खनिज) अधिकांश खाद्य पदार्थों में अलग-अलग मात्रा में मिलते हैं। किसी में कोई कम होता है तो कोई अधिक। प्रत्येक रासायनिक समूह के सभी तत्व भोजन में आते रहें इसके लिए हमें विभिन्न भोजन समूह, जो पहले दिए जा चुके हैं, से प्रतिदिन कुछ न कुछ अवश्य खाना चाहिए।

4. गृह वाटिका

बच्चों में स्वयं काम करने की क्षमता को विकसित करना, साग सब्जी, फल फूल के उत्पादन में बड़ों को सहयोग देकर परिवार की आय बढ़ाना, कुछ जरूरी पोषक तत्वों को दैनिक आहार में सुलभ कराना, और खाली समय का सदुपयोग करना—इन सभी बातों को बच्चे के जीवन स्तर से संबंधित समझकर गृहवाटिका के प्रति उन्हें जागरुक करना हमारा उद्देश्य है। यों तो बहुत से बच्चों को इस विषय का थोड़ा बहुत ज्ञान और निजी अनुभव पहले से होगा ही और शिक्षक को भी उस इलाके में उपजने वाली फसलों की जानकारी और खेती की क्रियाओं का अभ्यास शायद होगा ही। यहाँ इसी आधार को विज्ञान के सहारे मजबूत करके बच्चो को लाभ पहुँचाना है।

गृहवाटिका से अर्थ यहाँ उस तरह के बगीचे से है जो बच्चा अपने घर के पिछवाड़े में या अगल-बगल लगा हुआ पाता है और जिसका उपयोग परिवार के लिये ताजे फल, साग, सब्जी पैदा करने में किया जाता है। संभव है कुछ बच्चों के घर पर ऐसी बागवानी चल रही हो, पर अधिकांश बच्चे इस केन्द्र से अच्छी जानकारी प्राप्त कर अपने घर और पास पड़ोस को लाभ पहुंचाऐंगे ऐसी आशा है। ऐसे विषय पर शिक्षण प्रक्रिया निश्चय करना शिक्षक को तभी आसान होगा जब वह स्वयं इसके वैज्ञानिक और व्यावहारिक पहलुओं से अपने को अच्छी तरह परिचित करालें।

यह आशा की जाती है कि साग-सब्जी व ताजेफल खाने से शरीर को क्या लाभ पहुंचता है—शिक्षक इस बात से भलीभाँति परिचित है। पोषक तत्वों को आधार बनाकर वह कुछ वर्गों में इन फसलों को बाँट लें जैसे :

वर्ग 1. आलू, अरवी, कन्द इत्यादि

वर्ग 2. मटर, सेम, फ्रेंचबीन, ग्वार, लोबिया इत्यादि

वर्ग 3. बैंगन, टमाटर, गोभी, तोरई इत्यादि

वर्ग 4. पालक, मेंथी, चौराई, साग इत्यादि

बच्चों को प्रेरित करें कि अपने बगीचे में हर वर्ग की सब्जियाँ मौसम के अनुसार एक न एक अवश्य लगाई जाए। यह काम बच्चे कहाँ तक कर सकते हैं यह सुविधा पर निर्भर करता है, पर चर्चा द्वारा और किसी अच्छे बगीचे से जाकर बच्चों को प्रदर्शन और काम के अभ्यास द्वारा शिक्षक अपने उद्देश्य की पूर्ति कर सकता है। इसी प्रकार बच्चों एवं शिक्षक के पूर्वज्ञान को आधार बनाकर इन साग-सब्जियों का वर्गीकरण उनके उपजने के समय के अनुसार भी किया जा सकता है ताकि बच्चों में ठीक समय पर ही ठीक सब्जी उगाने की आदत डाली जा सके।

शिक्षक इस बात का भी ध्यान रखें कि बाग-बगीचा सम्बन्धी ज्ञान देने के समय बगीचे की जमीन का उपयोग अधिक से अधिक फसलों को उगाने में किस प्रकार किया जाए इस पर बच्चों से खुली चर्चा हो और उनके पूर्व ज्ञान और अनुभव को यथासंभव आधार बनाकर ही फसल क्रम के महत्व को उनके सामने रखें। यदि सिंचाई, बीज, खाद और खुले जानवरों से बचाव सुलभ हो तो एक वर्ष में एक ही जगह पर कितनी बार कितनी प्रकार की सब्जियाँ लगाई जाए इसकी योजना बनाने का अभ्यास चर्चा द्वारा कराया जाए। इस बात को स्पष्ट करने के लिए नमूने के तौर पर एक 7-8 हाथ लम्बी और लगभग उतनी ही चौड़ी अर्थात् 10-12 वर्गमीटर जमीन पर कितनी तरह की सब्जियां बरसात, जाड़ा और गर्मी के मौसम में उगाई जा सकती हैं। इनमें पांच फसल-क्रमों का उल्लेख यहां किया जाता है :

	बरसात	**जाड़ा**	**गर्मी**	**बाड़ों पर**	**मेढ़ पर**
क्रम 1.	भिंडी	मटर	खीरा	तोरई/लौकी	मूली
क्रम 2.	लोबिया	आलू	ककड़ी	तोरई/सेम	सलजम
क्रम 3.	बैंगन	साग	तरबूजा	लौकी/खीरा	धनिया पत्ती
क्रम 4.	फ्रेंचबीन	फूलगोभी	भिंडी	कुम्हड़ा/तोरई	मूली/मिर्च
क्रम 5.	भिंडी	टमाटर	साग	(कोई लता सब्जी)	(कोई और जैसे अदरक आदि)

मिट्टी से मिलने वाले पोषक तत्वों और बाहर से लाकर मिट्टी में खाद द्वारा दिए जाने

वाले पोषक तत्वों की थोड़ी बहुत जानकारी शिक्षक को होनी चाहिए। इस विषय पर विशेष गहराई में जाने की जरूरत यहाँ नहीं है। मोटे तौर पर सब जानते होंगे कि गोबर का प्रयोग खाद के रूप में बराबर होता आया है और कुछ समय से रासायनिक खादों का प्रचार भी काफी बढ़ा है। इसका एक व्यवस्थित ज्ञान बच्चों को देने में नीचे की तालिका शिक्षक को उपयोगी सिद्ध होगी। खादों का प्रयोग करना सिखाने के लिए जो क्रिया कलाप कराये जा सकते हैं उनका उल्लेख कुछ आगे किया जाएगा।

खादें

जैविक (मिट्टी के उपजाऊपन को बनाये रखने के लिए)	**रासायनिक खाद** (उर्वरक) पौधों तक आसानी से पोषक तत्व पहुंचाने के लिए)
गोबर खाद, कम्पोष्ट, खली खाद, पत्तों वाली खाद	(1) मुख्यतः डाल पत्ते बढ़ाने में मदद करने वाली खादें : जैसे—यूरिया, एमोनियम सल्फेट, कैल्सियम एमोनियम नाईट्रेट।
	(2) मुख्यतः भोजन क्रिया एवं फल-फूल, जड़ों को लाभ पहुँचाने वाली खादें—जैसे—सुपर फास्फेट, राक-फास्फेट।
	(3) पौधों की वृद्धि, फलन-फूलन की क्रिया तथा पौधे को स्वस्थ रखने में मदद करने वाली खादें : जैसे—म्यूरियट आफ पोटाश

यह तो सब जानते हैं कि खाद का संबंध मिट्टी के उपजाऊपन से सीधा जुड़ा हुआ है। इसलिए जैविक और रासायनिक खादों को एक दूसरे का पूरक मानना है न कि एक के बदले दूसरा। साथ-साथ बाजारों में उपलब्ध मिश्रित खादों से संबंधित

पर्चे और नमूने भी स्थानीय स्रोतों से प्राप्त कर बच्चों को उनके व्यवहार के तरीके शिक्षक समझा सकता है। खास-खास फसलों को मदद करने वाली मिश्रित खादें विभिन्न नामों से बाजार में मिलती है—जैसे ग्रौमोर, सोना, सुफला इत्यादि।

साथ साथ अच्छे बीज की थोड़ी जानकारी देना बच्चों के बागवानी के काम में बड़ा हितकर होगा। हमें मानना होगा कि अधिक उपज के लिए अच्छी किस्म के बीजों का बड़ा महत्व है। यदि स्वस्थ और अच्छी किस्म के बीज नहीं लगाए गए तो शुरू से ही फसल कमजोर होगी और अन्त में उसकी उपज से बड़ी निराशा होगी। ऐसे बीजों के प्रयोग से पैसाऔर मेहनत दोनों बेकार हो जाएंगे। अत: अच्छे और मामूली बीजों की पहचान बच्चे कैसे करें इसकी सूझ-बूझ शिक्षक को होनी चाहिए। आस-पास के बीज केन्द्रों से बीजों के नमूने लाकर या, अच्छा हो, बच्चों को ऐसे केन्द्रों पर कभी-कभी ले जाकर यह अभ्यास कराया जा सकता है। बीजों की पहचान में नीचे दिए संकेत शिक्षक की जानकारी बढ़ाने में उपयोगी होंगे।

अच्छे बीज किसे कहते हैं ?	**अच्छे बीज से क्या लाभ है ?**
(1) जो बीज उन्नतशील जाति (या किस्म) के हों।	(1) इनसे उगाई फसल में उत्पादन अधिक होता है।
(2) जो बीज मोटे, निरोग भारी और चमकीले हों।	(2) बोने के समय बीज की मात्रा कम लगती है।
(3) जो बीज छ: महीने से अधिक पुराने न हों और जिनमें मिलावट न हो।	(3) बुवाई का समय जरूरत के अनुसार आगे पीछे किया जा सकता है।

आजकल बीज केन्द्रों की स्थापना जगह-जगह हो चुकी है। कृषि विभाग, सहकारिता विभाग, प्रखण्ड और निजी नर्सरी अच्छे बीज प्राप्त कराने के लिए जगह-जगह केन्द्र खोले हुए हैं। कुछ केन्द्रों में बीज के अलावा खाद और रोग व कीड़ों की रोकथाम की दवाएं भी मिलती हैं। इनसे सम्पर्क बढ़ाकर शिक्षक न केवल अपने केन्द्र के बच्चों को बल्कि वहाँ के समाज को भी अच्छी खेती या बागवानी में मदद कर सकता है।

अन्त में यह बताना भी जरूरी है कि बच्चों में व्यावहारिक ज्ञान के विकास के

लिए उनसे बागवानी की कुछ क्रियाओं का अभ्यास "करके सीखो" द्वारा सिखाया जाए। ऐसी क्रियायें हैं—(1) पौद क्यारी का बनाना (2) ठीक ढंग से बीज बोना या पौद रोपना (3) निराई गुड़ाई (4) ठीक तरीके से समय पर खाद देना (5) समय पर सिंचाई करना और (6) फसल की रक्षा के उपाय करना।

5. हमारी फसलें

हम आज वैज्ञानिक कृषि के युग में हैं। फसलों के लिए खेत की तैयारी, बोने व काटने का समय, सिंचाई, खाद-उर्वरकों की मात्रा तथा इनको देने के समय, किस्मों का चुनाव, फसलों का रोगों व कीटों से बचाव, अनाजों के भंडारन, यंत्रों के उपयोग आदि हर कार्य का वैज्ञानिक आधार है। उन्नत कृषि सम्बन्धी काफी जानकारी किसानों तक पहुँच चुकी हैं और नई जानकारी कृषि प्रसार कार्यकर्ताओं द्वारा पहुँचाई जाती रहती है। एक ग्रामीण होने की हैसियत से आप भी कृषि सम्बन्धी काफी जानकारी रखते होंगे। अपनी इस जानकारी को आप क्षेत्र के प्रगतिशील किसानों तथा कृषि प्रसार कार्यकर्ताओं से सम्पर्क बनाए रखकर हमेशा जीवन्त रखें।

बच्चों को भी, जो आगे चलकर कृषि या कृषि सम्बन्धी उद्योगों में लगेंगे, कृषि के वैज्ञानिक पहलुओं की यथा सम्भव जानकारी देनी चाहिए। जहाँ तक हो सके यह जानकारी उनके वर्तमान कृषि सम्बन्धी कार्यों पर आधारित हो। सम्बन्धित ज्ञान उन्हें भाषण द्वारा न दें, इसमें उनकी विशेष रुचि नहीं होती, वे ऊब जाते हैं। जानकारी देने के लिए आप उन विधियों का प्रयोग करें जिसमें बच्चे खेती के विभिन्न पहलुओं के बारे में अपने आस-पास व्याप्त तरीकों की खोज-बीन करके जानें। फिर एक मार्गदर्शक के नाते आप सही निष्कर्ष निकालने में उनकी सहायता करें। इसके लिए कुछ सुझाव नीचे दिए गए हैं।

(1) बच्चों से प्रश्न पूछ कर उन फसलों की सूची बनाएं जो उनके क्षेत्र में उपजती हैं। अगर उन्हें थोड़ा बहुत लिखना आ गया हो तो खुद भी बच्चे ऐसी या नीचे अपेक्षित अन्य सूचियाँ बना सकते हैं।

(2) इसी प्रकार एक सूची उन मसालों आदि की बनाई जा सकती है जो उनके घरों में व्यवहार की जाती हैं पर उनके क्षेत्र में नहीं उपजती।

(3) इन दोनों सूचियों में आए सभी फसलों के नामों को नीचे दिए गए विभिन्न समूहों में पूछ-पूछ कर लिखें या लिखवाएं :

मुख्य अनाज	दालें	मसाले	सब्जियाँ	फल	तिलहन	अन्य

इस कार्य से बच्चे फसलों के मुख्य समूहों के बारे में जान जाएंगे। इस पर चर्चा आगे बढ़ाई जा सकती है कि कई मसाले या अन्य खाद्य हर जगह क्यों नहीं उपजाये जा सकते ? इससे यह निष्कर्ष निकलवाएं कि विभिन्न फसलों को उगाने में जलवायु का विशेष महत्व होता है और अलग-अलग फसलों का अलग-अलग जलवायु से सीधा सम्बन्ध होता है। इस निष्कर्ष की पुष्टि के लिए स्थानीय उदाहरण दें, जैसे गेहूँ, आलू या सरसों की खेती जाड़े में ही की जाती है या धान की उपज के लिए बरसात अधिक उपयुक्त है।

(4) फसलों के विभिन्न समूहों का सम्बन्ध चर्चा द्वारा, शिक्षक इस पुस्तक में अन्यत्र दिए गए भोजन समूहों से स्थापित कराएं।

(5) साधारणतः गाँव के बच्चे स्थानीय फसलों के बोने और काटने के समय से परिचित होते हैं। शिक्षक उनको जानकारी को नीचे दी गई तालिका के जरिए व्यवस्थित कर सकते हैं।

फसल	बोने/रोपने का समय	काटने का समय

(6) इसी प्रकार गाँव के अच्छे किसानों से पूछकर स्थानीय फसलों की बीमारियों और कीटों सम्बन्धी जानकारी भी हासिल कर सकते हैं तथा उनके द्वारा बनाई गई तालिका ही आगे याद रखने के लिए उनकी

सहायक हो सकती है। साथ ही प्रत्येक बीमारी के लिए स्थानीय उपचार व दवाओं के नाम भी दिए जा सकते हैं। ऐसी एक तालिका आगे दी जा रही है।

फसल	बीमारी/कीट	उपचार/दवा

(7) गेहूँ, धान, जौ, सब्जियां, आदि की कई उन्नत किस्में व्यवहार की जाती है। इनमें समय-समय पर परिवर्तन भी किए जाते हैं। ये किस्में भी स्थानीय जलवायु या अन्य विशेषताओं को ध्यान में रखकर किसी क्षेत्र में वितरण के लिए स्वीकृत की जाती हैं। बच्चों से प्रत्येक फसल की स्थानीय उन्नत किस्मों की सूची भी बनवाई जा सकती है।

जैसे:—

धान—

गेहूँ—

जौ—

आलू—

भिन्डी—

गन्ना—

टमाटर—

अन्य—

6. खेती के उन्नत तरीके

आमतौर पर यह विश्वास किया जाता है कि खेती करना एक ऐसी कला है जो अपने से बड़ों को काम करते देखकर तथा अपने को उनके साथ काम में लगा कर ही सीखी जा सकती है। यह बात कुछ हद तक सही भी है। खेती करने की कुछ क्रियाओं को निजी अनुभव के आधार पर ही सीखा जा सकता है। कितनी भी किताबें पढ़ ली जाए और कितने भी भाषण, चर्चा सुन लिए जाए पर खेती करना तब तक ठीक से नहीं आएगा जब तक कोई स्वयं ही काम करने की आदत न डाले। किन्तु अभ्यास प्रक्रिया के साथ-साथ खेती का काम आज विज्ञान का भी एक अंग बन गया है। जमीन जोतने से लेकर फसल काटने तक प्रत्येक क्रिया के पीछे विज्ञान पर आधारित नए तरीके बड़ी तेजी से विकसित होते जा रहे हैं। इस अवसर से लाभ उठाने के लिए हमारे शिक्षक को स्वयं एक विद्यार्थी की तरह जिज्ञासु और किसान की तरह प्रयत्नशील रहना पड़ेगा।

हम सब यह भी जानते हैं कि खेती का काम दिल और दिमाग के अलावा कड़ी मेहनत चाहता है। पढ़े लिखे लोग खेत रहते हुए भी मेहनत से बचने के लिए खेती का काम नहीं करना चाहते। हमें इस शिक्षण द्वारा बच्चों के मन से इस प्रकार का भय भरकस दूर करना है कि खेती का काम नीरस है, केवल कड़ी मेहनत चाहता है और आय की दृष्टि सन्तोषजनक नहीं है। यह तो मानना ही होगा कि बहुत से लोगों के पास इतनी जमीन नहीं है जो उनके परिवारिक अभावों को पूरी तरह मिटा सके, पर जिसके पास खेती योग्य जितनी भी जमींन हो उसका अधिक से अधिक लाभ तो उठाया ही जा सकता है। खेती पर चर्चा करते समय या खेती का व्यावहारिक अभ्यास कराते समय शिक्षक, न केवल बच्चों के समूह को ध्यान में रखें, बल्कि उनके किसान अभिभावकों को भी ध्यान में रखे क्योंकि बच्चों के द्वारा केन्द्र में सीखा हुआ

हुआ ज्ञान, साथ-साथ उनके खेतों तक पहुँचाया जा सकता है और उन्नत तरीकों से लाभ-हानि का मूल्यांकन साथ-साथ हो सकता है।

इन सब बातों को ध्यान में रखकर इस विषय का एक क्रमबद्ध स्वरूप शिक्षक के दिमाग में निर्माण करने के लिए निम्नलिखित पांच बिन्दुओं का उल्लेख किया जा रहा है :—

1. मिट्टी और समय को ध्यान में रखकर **उन्नत किस्म के बीजों** का प्रयोग।
2. उचित मात्रा में, उचित समय पर, मिट्टी और फसल की जरूरतों को ध्यान में रखकर **जैविक और रासायनिक खादों** का प्रयोग।
3. उचित समय पर सही ढंग से सिंचाई।
4. समय पर खर पतवार, घातक कीड़ों और रोगों की सही तरीके से रोक-थाम।
5. उन्नत औजार और विभिन्न मापक यंत्रों का प्रयोग।

इन पांच बिन्दुओं पर बच्चों को ठीक-ठीक ज्ञान देने के लिए और इसके व्यवहार का अवसर प्रदान करने के लिए बच्चों के ही माध्यम से शिक्षक कुछ सूचनाएं आसानी से प्राप्त कर पाठ आरम्भ करे। बच्चों की खोजबीन द्वारा दो बातें जानी जा सकती है:—(1) ऊपर के प्रत्येक बिन्दु के लिए उस समय के प्रचलित तरीके क्या क्या है और (2) किन-किन बच्चों के घर कितनी खेती है, किन मौसमों में होती है तथा कौन-कौन सी फसलें होती हैं। ये सूचनाएं शिक्षक को शिक्षण विधियाँ निश्चय करने में बड़ी मदद करेंगी। उदाहरण के लिए कुछ विधियों के साथ विषयवस्तु पढ़ाने के तरीकों का उल्लेख यहां किया जा रहा है।

ऊपर कहे बिन्दुओं पर सूचनाएं एकत्र होते ही शिक्षक सबसे पहले प्रत्येक की सूची अलग अलग तैयार कर लें और तब अपने ज्ञान या उपयुक्त स्रोतों से जानकारी के आधार पर बच्चों के सामने प्रचलित तरीके के बदले उन्नत तरीके की सूची बनाकर दिखाएं। साथ-साथ यह चर्चा करे कि यह तरीके क्यों अच्छे या उन्नत कहे जाते हैं। देशी प्रचलित बीजों की अपेक्षा कम समय में अधिक उपज वाली किस्मों की चर्चा करें और साथ-साथ उनकी खाद, पानी, कीड़ा, रोग नियंत्रण आदि की आवश्यकताओं

पर प्रकाश डालें ताकि फसल के अच्छे उत्पादन के विभिन्न पहलुओं का समन्वित बोध हो सके। इसीप्रकार फसलों को और उनकी विभिन्न किस्मों को भौगोलिक आधार पर क्यों बाँटा गया है तथा उनकी खेती किसी खास ऋतु से जुड़ी हुई है या नहीं—इन प्रश्नों पर भी चर्चा की जाए ताकि अच्छी उपज के लिए सही फसल और सही किस्म का चुनाव हो सके। यहां यह कहना भी आवश्यक है कि यदि किसी फसल विशेषज्ञ या सफल किसान को बुलाकर बच्चों के बीच चर्चा कराई जा सके तो शिक्षण का प्रभाव गहरा और टिकाऊ होगा। यह कोई जरूरी नहीं है कि इस पाठ को एक ही दिन में पढ़ाकर समाप्त कर दिया जाए। इसके कुछ उपयोगी पहलुओं पर क्रमशः प्रकाश डालना ही अधिक उपयुक्त होगा जैसे :—

1. अच्छी किस्म के बीज के व्यवहार से लाभ
2. मिट्टी की जांच से लाभ
3. बीजों को संरक्षित करने के अच्छे उपाय और उसके लाभ
4. बीजों की अंकुरण शक्ति की जांच और उपयोग
5. विभिन्न खादों के गुण, तत्व और उनके प्रयोग की विधियां
6. सिंचाई के अलग-अलग साधन और उनका सदुपयोग
7. खेतों में फसल के समय साधारणतः खरपतवार, हानिकारक कीड़े और रोगों के नाम, पहचान और रोकथाम के उपाय
8. खेती के उन्नत यंत्रों की सूची, उनके प्रयोग की विधियाँ और उनके प्राप्त होने वाले स्थानों की जानकारी
9. अधिक आय को ध्यान में रखकर फसलक्रम और सघन खेती का ज्ञान
10. खेती के उन्नत तरीके से सम्बन्ध रखने वाली सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं और इनकी भूमिकाओंका परिचय।

अलग से बताई गई शिक्षण प्रक्रियाओं को ध्यान में रखकर शिक्षक इस पाठ को रुचिकर और प्रभावकारी बनाने का भरसक प्रयत्न करे क्योंकि ऐसे व्यापक विषय को एक ही प्रक्रिया से पढ़ाना कभी उचित नहीं होगा। उदाहरण के लिए कुछ संकेत

नीचे दिए जारहे हैं :—

1. उन्नत खेती सम्बन्धी अनेक तालिकायें, चित्र और चार्ट सम्बन्धित संस्थाओं से मंगाकर या थोड़ा बहुत स्वयं भी बनाकर शिक्षक अपने पाठ को रुचिकर और टिकाऊ बना सकता है।
2. आसपास चल रहे उन्नत खेती के विशेष कार्यकलापों का अवलोकन और प्रदर्शन बच्चों को समय-समय पर वहां ले जाकर शिक्षक करा सकता है—जैसे उन्नत तरीके से बीज बोना, पौद रोपना, सिंचाई व खाद देना, कीट-नाशक और रोगनाशक दवाओं का प्रयोग करना इत्यादि।
3. आसपास के बीज, खाद, खेती की दवाएं, खेती के औजार के विक्रय केन्द्रों का भ्रमण चार-छः महीने में एक बार कराने से बच्चे अपने सीखे हुए ज्ञान को और विकसित कर सकते हैं क्योंकि वहाँ तरह-तरह के नमूने देखने को मिलेंगे और उनकी जानकारी और उत्सुकता को इससे बड़ा लाभ होगा।
4. यदि बच्चों के घर पर सुविधा हो या समाज के लोग सुविधा देने को तत्पर हों तो छोटे प्रयोग के रूप में बच्चे स्वयं भी कुछ उन्नत तरीकों का अभ्यास कर सकते हैं—जैसे 10-12 वर्गमीटर की क्यारी में दो या तीन किस्मों के बीज बोकर तथा उन पर अच्छे तरीकों का प्रयोग कर उनके उत्पादन का स्वयं मूल्यांकन करना।
5. यदि सम्भव हो, कभी-कभी जन सम्पर्क विभाग या कृषि विभाग के इस विषय पर प्रचार चलचित्रों को दिखलाना और आकाशवाणी के द्वारा इसी प्रकार के प्रचार कार्यक्रमों को सुनवाना शिक्षक और केन्द्र के बच्चों के लिए बड़ा शिक्षाप्रद होगा।

अन्त में यह फिर से बतलाना जरूरी है कि खेती के उन्नत तरीकों को बढ़ावा देने के लिए बड़े पैमाने पर प्रचार कार्य चल रहा है तथा जगह-जगह पर किसान शिक्षा केन्द्र चलाए जा रहे हैं। शिक्षक इनके माध्यम से स्वयं को यथासम्भव अवगत कराए रखें।

7. वृक्षारोपण

वृक्षों का हमारे जीवन में बड़ा महत्व है क्योंकि इनके द्वारा हमें बहुत से लाभ हैं। छायादार वृक्ष एक ओर तो राहत देते हैं दूसरी ओर हवा को शुद्ध करते हैं। आम, कटहल, अमरूद आदि पेड़ों से हमें फल मिलता है तथा कुछ वृक्षों के पत्ते हमारे पशु खाते हैं, ताड़ जैसे वृक्षों की पत्तियां पंखे बनाने में, छत बनाने में भी काम आती है। कुछ वृक्षों से हम जलाने की लकड़ी और कुर्सी, मेज, दरवाजे वगैरह बनाने के काम में आने वाली लकड़ी मिलती है। वृक्षों की जड़ें मिट्टी को बांध कर उसका कटाव रोकती हैं जोकि बाढ़ को रोकने में सहायक होती है। वृक्षों द्वारा स्थान की शोभा बढ़ती है अतः बगीचों और सड़कों के किनारे इन्हें लगाया जाता है। गुलमोहर, अमलतास और कचनार के पेड़ अपने सुन्दर फूलों व छाया के लिए प्रसिद्ध हैं। जब हमें इनसे लाभ ही लाभ है और नुकसान कोई नहीं तो हमारा कर्त्तव्य हो जाता है कि हम इन्हें अधिक से अधिक संख्या में लगाएं।

कक्षा में बच्चों से शिक्षक प्रश्न पूछकर वृक्षों की उपयोगिता पर चर्चा आरम्भ कर सकता है। जैसे आम कहां फलता है? जब तुम धूप से परेशान हो जाते हो तो पेड़ों के नीचे क्यों जाना चाहते हो? दातौन किस पेड़ से मिलती है? तुम्हारी कुर्सी या खाट किस पेड़ की लकड़ी से बनी है? पंचायत कहां लगती है? यदि वृक्ष न हों तो गांव देखने में कैसा लगेगा? बरसात में झूले कहां बंधेंगे? आदि।

वृक्षारोपण की वैज्ञानिक विधि की जानकारी कुछ वृक्ष लगवा कर अच्छी तरह दी जा सकती है। जैसे कि यदि सम्भव हो तो बच्चों या क्षेत्र के अन्य लोगों की सहायता से करीब करीब चार हाथ चौड़े, चार हाथ लंबे तथा चार हाथ गहरे गड्ढे बनवाए जा सकते हैं। इन गड्ढों में खेतों में काम आने वाली खाद मिली हुई मिट्टी भरी जा सकती है तथा उसके बाद बच्चों के द्वारा ही उनकी पसंद के वृक्षों की पौध उसके बीच में लग-

वाई जा सकती है। प्रत्येक गड्ढे के चारों ओर कटीली झाड़ियां, बांस या अन्य लकड़ी की मदद से एक बाड़ बनाना अच्छा होगा ताकि इन्हें जानवर न खा सकें। शुरू में प्रतिदिन तथा दो तीन माह बाद प्रति सप्ताह पानी देना आवश्यक है। वृक्षों के आसपास की खरपतवार उखाड़ते रहना चाहिए। जब वृक्ष बड़ा होने लगता है तब उसमें शाखाएं निकलने लगती हैं। इन शाखाओं के कारण वृक्ष सघन तो हो जाता है पर उसकी ऊंचाई कम होने लगती है। ऐसी अवस्था में बच्चों द्वारा नई शाखाओं को सावधानी पूर्वक कटवाते रहने से वृक्ष लम्बे होते हैं। जब वृक्ष एक आदमी की ऊंचाई से अधिक लम्बा हो जाए तब शाखाओं का काटना भी बंद कर देना चाहिए।

यदि आपको यह कार्यक्रम सफल बनाना है तो प्रत्येक वृक्ष पर किसी न किसी बच्चे के नाम की तख्ती टांग दें और उस बच्चे से कहें कि अब यह वृक्ष तुम्हारा है इसे बढ़ाना तुम्हारा काम है इत्यादि। ऐसा संभव न हो तो कुछ समूहों के नाम भी वृक्षों पर टांगे जा सकते हैं। हमारे देशवासी बड़े ही भावनामय होते हैं। यदि वृक्षों के साथ बच्चे की किसी भावना को जोड़ दिया जाए तो वे बड़ी लगन से यह काम करेंगे और सीखेंगे। हमारे देश की एक नगर पालिका ने अपने नागरिकों पर ऐसा ही सफल प्रयोग किया है। उन्होंने नागरिकों से कहा कि एक सड़क पर वे अपने किसी प्रियजन की याद में वृक्ष लगा सकते हैं। स्थान व सहूलियत तो नगर पालिका ने दी पर वृक्ष लगाने और पनपाने का जिम्मा उस व्यक्ति ने स्वीकार किया। अब वह सड़क वृक्षों से भर गई है क्योंकि प्रत्येक वृक्ष के साथ किसी न किसी की याद जो जुड़ गई है।

यदि आपके क्षेत्र में वृक्षारोपण की गुंजाइश न हो तो भी शिक्षक कम से कम बातचीत द्वारा बच्चोंको इसकी विधि का ज्ञान दे सकता है। चार्ट द्वारा भी इस कार्य को अच्छी तरह किया जा सकता है। बच्चों से वृक्षों के चित्रों का संग्रह कराया जाना भी अच्छा होगा।

वृक्षारोपण का सबसे अनुकूल समय बरसात का मौसम है अच्छा हो कि गड्ढे जून में तैयार कराए जाएं और वृक्षारोपण जुलाई में। इस प्रकार सितम्बर तक तो पेड़ जड़ पकड़ लेगा। बाद में हर सप्ताह पानी दिया जा सकता है। एक साल तक पानी देने की जरूरत पड़ती है बाद में नहीं।

वृक्षों का उचित चयन बड़ा आवश्यक है। इनकी पौद कृषि विभाग दे सकता है। कुछ उपयोगी वृक्षों की सूची नीचे दी जा रही है।

(क)	फलों वाले छायादार वृक्ष	आम, अमरूद, शरीफा, जामुन, कटहल, इमली, शहतूत, नीबू, आदि।
(ख)	फलों वाले पर बिना छाया के वृक्ष	पपीता, ताड़, नारियल, खजूर आदि।
(ग)	अन्य छायादार वृक्ष	पीपल, बरगद, गुलमोहर, अमलतास, नीम, बबूल, आदि।
(घ)	लकड़ी, फर्नीचर आदि के काम आने वाले वृक्ष	आम, सागवान, शीशम, सेमल आदि।

8. फिजूलखर्ची

फिजूलखर्ची शब्द का प्रयोग साधारणत: हम धनी और सम्पन्न परिवारों के विषय में बातें करते समय ही करते हैं। सही भी है क्योंकि ऐसे कई परिवारों में खर्च या घर-खर्च के नाम पर खर्चीलेपन का एक न एक वीभत्स रूप प्रस्तुत किया जाता है। लेकिन सामान्य व गरीब घरों में भी कभी-कभी जाने अनजाने सामर्थ्य से अधिक खर्च कर दिया जाता है। कभी-कभी यह सामाजिक प्रतिष्ठा या कुछ अन्य स्थितियों के कारण किया जाता है, जैसे जन्म, विवाह, श्राद्ध आदि। इनके लिए किए गए खर्च के कारण तो पारिवारिक जीवन लम्बे समय के लिए दुखदायी हो जाता है।

कभी-कभी प्रत्येक व्यक्ति द्वारा की गई छोटी-छोटी फिजूलखर्ची कुल मिलाकर एक भयानक स्थिति प्रस्तुत करती है। उदाहरण के लिए अगर अनजाने में एक आदमी एक बार के भोजन में 5 ग्राम भोजन भी छोड़कर या आसपास बिखेर कर बर्बाद करता है तो एक हजार व्यक्तियों का एक गाँव प्रति माह 300 किलोग्राम अन्न बर्बाद करता है। इतने अनाज से एक व्यक्ति को लगभग साल भर तक खिलाया जा सकता है। बच्चो में अनजाने में अन्न वर्बाद करने की प्रवृत्ति काफी होती है जिसका एहसास उन्हें कराना बहुत जरूरी है।

फिजूलखर्ची के और भी कई रूप हैं जिनसे प्रयास द्वारा बचा जा सकता है। पान, बीड़ी, खैनी, दारु आदि पर भी जो दैनिक खर्च किया जाता है उनको साल भर के लिए जोड़ कर देखा जाए और इसका एहसास बच्चों में कराया जाए तो कच्ची उम्र में ही इन दुर्गुणों से बचकर न केवल अपने और अपने परिवार के लिए बचत कर सकते हैं बल्कि इन बुरी लतों से बचकर अपना स्वास्थ्य भी ठीक रख सकते हैं।

इन बातों को उनके मन मस्तिष्क में अच्छी तरह जमाने के लिए उनसे केन्द्र में या व्यक्तिगत रूप से चर्चा करनी चाहिए। शिक्षक स्वयं हिसाब करके यह दिखा

सकता है कि कितनी फिजूलखर्ची घटाकर इतने पैसे बचाए जा सकते हैं कि उनसे कोई अन्य उपयोगी वस्तु जैसे कमीज, स्वेटर आदि खरीदे जा सकते हैं। इसी प्रकार कर्ज आदि लेकर विशेष अवसरों पर किए गए खर्च के विषय में भी, जिसकी चर्चा पहले की गई है, उचित दृष्टिकोण पनपाया जाना चाहिए।

फिजूलखर्ची की गुंजाइश खेती-बाड़ी में काम में आने वाले बीज, खाद-उर्वरक, कीट-नाशकों का अधिक उपयोग, सिंचाई के लिए जरूरत से अधिक पानी देने आदि में भी काफी रहती है। आवश्यकतानुसार इनकी सही मात्रा बताते हुए इनकी बर्बादी बचाने पर जोर देना चाहिए। इनमें अति करने से नुकसान भी होता है जिससे दोहरी हानि होती है यह भी उन्हें बताया जाए।

9. समाजोपयोगी उत्पादक कार्य

बच्चों, उनके परिवारों तथा समाज के आर्थिक स्तर में उन्नति लाने के लिए गांव में होने वाले उद्योग-धन्धों के विकास के प्रति जागरुकता पैदा करना हमारी शिक्षा नीति का एक महत्वपूर्ण अंग है। समाजोपयोगी उत्पादक कार्यों के प्रति छात्रों में झुकाव पैदा करना तथा साथ-साथ काम-धन्धों को वैज्ञानिक तरीके से करने के लिए उनमें ज्ञान और रुचि का पैदा करना, इस शिक्षा के लक्ष्यों में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इन सबके लिए शिक्षक के व्यावहारिक दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना आवश्यक है। सबसे पहिले शिक्षक को यह जानकारी प्राप्त करनी होगी कि बच्चे अपने समय का उपयोग किन कामों में करते हैं। यह काम बच्चों के माध्यम से ही किया जा सकता है। नीचे लिखे चार प्रश्नों के द्वारा शिक्षक इस जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं।

1. स्कूल न जाने वाले बालक-बालिकाएं अपना अधिकांश समय किस तरह के काम में लगाते हैं ?
2. इनमें से ऐसे कितने बच्चे हैं जो पारिवारिक उद्योग-धन्धों में सक्रिय भाग लेकर पारिवारिक आय में योगदान करते हैं ?
3. इनमें से ऐसे कितने बच्चे हैं जो व्यक्तिगत रूप से उद्योग-धन्धों में काम करके अपने परिवार को सहायता पहुंचाते हैं ?
4. इनमें से कितने ऐसे बच्चे हैं जो साधन या मार्ग-दर्शन की कमी के कारण व्यर्थ के कामों में अपना समय नष्ट करते हैं ?

इन तथ्यों के एकत्रित हो जाने से शिक्षक के पास एक ऐसी सामग्री आ जाती है जिसके आधार पर वह यह निश्चय कर सकता है कि उस सूची में से किस प्रकार के धन्धों के प्रति बच्चों को प्रोत्साहित कर वह उनके भविष्य सुधारने में मदद कर सकता है। उद्योग-धन्धों तथा उनसे संबंधित कार्य कलापों को स्पष्ट रूप से समझने के लिए

शिक्षक इस एकत्रित जानकारी को चार भागों में बांट सकते हैं :—

1. ऐसे धन्धे जो सामान्यतः ग्रामीण बालकों से संबंधित हैं।
2. ,, ,, ,, ,, बालिकाओं ,, ,,
3. ,, ,, ,, आदिम बालकों ,, ,,
4. ,, ,, ,, बालिकाओं ,, ,,

विकास की संभावनाएं

यहाँ शिक्षक का ध्यान इस सच्चाई की ओर आकर्षित किया जाता है कि इस वैज्ञानिक प्रगति के युग में सभी प्रकार के काम-धन्धों को पहले से अधिक अच्छे ढंग से करने के तरीके विकसित होते रहते हैं और होते रहेंगे। इसलिए देहात या आदिवासी इलाकों में चल रहे काम-धन्धों को आर्थिक तथा औद्योगिक दृष्टिकोण से सबल बनाने की संभावनाएं असीम हैं। इन बातों को ध्यान में रखकर कुछ काम-धन्धों की चर्चा नीचे उदाहरण स्वरूप की जा रही है। इतना कहना यहाँ आवश्यक है कि किसी भी काम के बारे में विशेष जानकारी अथवा व्यावहारिक कुशलता प्राप्त करने के लिए उपलब्ध लिखित सामग्री या स्थानीय विशेषज्ञों की सहायता शिक्षक को लेनी होगी।

1. स्थानीय फसल की किस्मों के स्थान पर अधिक उपज देने वाली उन्नत या संकर किस्मों को उगाने, बहुफसली खेती करने तथा इससे संबंधित वैज्ञानिक तरीकों से इच्छुक बच्चों को अवगत कराना।
2. देशी नस्लों के स्थान पर संकर या उन्नत नस्लों के पशुओं के पालनपोषण का ज्ञान तथा इसके लिए साधन सुविधाओं की प्राप्ति की जानकारी इच्छुक बच्चों को प्रदान करना।
3. निकट के शहर या बड़े हाट-बाजार की मांग को ध्यान में रखकर साग-सब्जी, फल, दूध, अण्डे आदि के उत्पादन में वृद्धि के तरीके तथा इनसे अधिक से अधिक लाभ के लिए इनकी बिक्री के तरीके बताना।
4. दवा बनाने के काम में तथा उद्योग में काम आने वाले पौधे उगाने की संभावनाओं पर ध्यान देना और सुविधानुसार बच्चों को इस ओर जागरुक करना।

5. पैतृक शिल्प (पेशों) में लगे बच्चों को उस शिल्प के आधुनिकीकरण पर बल देना तथा इसके लिए विभिन्न स्रोतों से मिलने वाली सहायता का मार्ग-दर्शन करना।

6. वृक्षारोपण से मिट्टी का बचाव, बाढ़ से बचाव, वर्षाजल का भूमिगत ठहराव, फल, पत्ते, ईंधन की प्राप्ति से लाभ के महत्व को ध्यान में रखकर आसपास की बंजर या ऊबड़-खाबड़ जमीन पर बरसात के समय पेड़-पौधे लगाने को प्रोत्सहित करना।

7. मधुमक्खी पालन, रेशम कीड़ा पालन, लाख की खेती, बकरी-भेड़ पालन के आर्थिक तथा औद्योगिक महत्व पर बल देते हुए आय-वृद्धि के इन स्रोतों के प्रति बच्चों में रुचि पैदा करना तथा आसपास के कुटीर-उद्योगों के माध्यम से इनके संचालन और विक्रय की व्यवस्था का ज्ञान देना।

8. मछली पालन में रुचि रखने वाले बच्चों को इसके नए तरीकों से अवगत कराना तथा कम समय में अधिक बढ़ने वाली मछलियों के किस्मों की प्राप्ति के स्थान से सम्पर्क कर स्थानीय तालाबों द्वारा आय-वृद्धि की संभावनाओं को प्रकाश में लाना।

9. सहकारिता के माध्यम से आय बढ़ाने के लिए बच्चों को विशेष प्रकार के पदार्थों के विक्रय केन्द्र खोलने को प्रोत्साहित करना जैसे—उन्नत किस्म के बीज, रासायनिक खाद, फसलों तथा पशुओं से संबंधित दवाएं।

10. बच्चों में सहयोग की भावना जगाकर स्वच्छ दूध तथा शुद्ध घी के उत्पादन एवं वितरण के व्यावसायिक रूप का ज्ञान देना।

11. बच्चों की, विशेषकर बालिकाओं की आय में वृद्धि, समय का सदुपयोग और गाँव के लोगों को सस्ते दामों पर रुचिकर पदार्थों की प्राप्ति का लक्ष्य बनाकर सहकारिता द्वारा फल-सब्जी का संरक्षण, अचार, पापड़, बड़ी आदि बनाना, साधारणत: व्यवहार में आनेवाली पोशाकों का बनाना, खिलौने, टाफी इत्यादि का बनाना, रोजाना काम की चीजें जैसे—झाड़ू, टोकरी, चटाई, साबुन आदि का बनाना।

10. लड़कियों के लिए घरेलू उद्योग

ये सभी महसूस करते हैं कि अच्छी आमदनी के बिना घर का खर्च चलाना कठिन होता है। इसलिए घर के सभी लोगों को आमदनी बढ़ाने में हाथ बटाना चाहिए। ऐसा करने से परिवार की आमदनी बढ़ेगी, परिवार का जीवन स्तर सुधरेगा और समय का भी सदुपयोग होगा। लड़कियां इस कार्य में किस प्रकार मदद कर सकती हैं, वे कौन-कौन से घरेलू उद्योग चला सकती हैं, ये उद्योग किस प्रकार चलाए जा सकते हैं—आदि की जानकारी देने के लिए शिक्षक निम्नलिखित क्रिया-कलाप करेगा:—

पहले बच्चे उन घरेलू उद्योगों की जानकारी प्राप्त करेंगे जिन्हें महिलाओं ने अपने क्षेत्र में शुरू कर रखा है। इस प्रकार की जानकारी द्वारा यह पता लगाएं कि उस परिवार की आमदनी बढ़ी है या नहीं, उस परिवार का जीवन स्तर सुधरा है या नहीं आदि। बच्चों के पास यदि इस सम्बन्ध में कोई अनुभव हो तो उन्हें सुनाने को कहें। इस जानकारी को आधार बनाकर शिक्षक बातचीत आगे बढ़ा सकता है। बातचीत करते समय शिक्षक निम्नलिखित प्रश्न करेगा:—

1. कौन-कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनकी हमें लगभग रोजाना जरूरत होती है?
2. क्या ये चीजें आपके क्षेत्र में ही बनती हैं या बाहर से आती हैं ?
3. क्या इन चीजों को लड़कियां बना सकती हैं ?
4. ऐसा कौन-सा काम है जिसे आसानी से लड़कियां शुरू कर सकती हैं ?
5. ऐसा कौन-सा काम है जिसे हम सब मिलकर केन्द्र पर शुरू कर सकते हैं ?
6. ऐसे कामों के लिए क्या-क्या सामान चाहिए ?

7. क्या यह सामान क्षेत्र में उपलब्ध है ?
8. क्या क्षेत्र में इन कामों को कोई सिखा सकता है ?
9. इसके लिए धन कहां से प्राप्त होगा ?
10. तैयार किए गए सामान को क्षेत्र में बेचने के लिए क्या करना होगा ?

इस बातचीत के दौरान शिक्षक निम्नलिखित जानकारी भी बच्चों को देगा—

लड़कियां दो प्रकार से घरेलू आमदनी बढ़ाने में मदद कर सकती हैं।

(1) घरेलू काम या घर में चल रहे कामों में हाथ बटाकर जैसे भाई-बहिन की देखभाल करना, घरेलू कामकाज में सहायता करना, घर पर चल रहे किसी घरेलू धन्धे में घरवालों की मदद करना, गृह वाटिका की देखभाल करना, पालतू पशुओं की देखभाल करना आदि।

(2) लड़कियां स्वयं घरेलू उद्योग शुरू करके घर की आमदनी बढ़ा सकती हैं। इस प्रकार के घरेलू उद्योगों में मुख्य है—सिलाई, बुनाई, कशीदाकारी, फल व तरकारियों को सुखाकर डिब्बों में बन्द करना व बेमौसम में बेचना, विभिन्न प्रकार के अचार तैयार करना, मिर्च मसाले पीसना व पैकेट तैयार करना, साबुन बनाना, मोमबत्ती बनाना, खिलौने बनाना, टोकरी बनाना, पापड़ बनाना आदि।

घरेलू उद्योग प्रारम्भ करने के लिए यह आवश्यक है कि सिखाने वाला क्षेत्र में उपलब्ध हो, कच्चा माल क्षेत्र में उपलब्ध हो, तैयार माल के बिकने की बाजार में गुंजाइश हो, काम को शुरू करने में अधिक धन की जरूरत न हो और आवश्यक धन प्राप्त करने के लिए बैंक की सुविधाएं उपलब्ध हों, खादी ग्रामोद्योग भी इस प्रकार के कार्यों में सहायता करता है। यदि सहकारी समिति बन जाए तो सहकारी विभाग भी आसान शर्तों पर कर्ज देता है। यदि केन्द्र में ही बालिका मण्डल स्थापित कर दिया जाए और लड़कियों की संख्या ५४ से ऊपर हो जाए तो विकास खण्ड भी इन मण्डलों को सिलाई मशीन, मिर्च-मसाले पीसने की मशीन, घरेलू बरतन, रेडियो आदि सहायता के रूप में देता है। इसके लिए बालिका मण्डल का रजिस्ट्रेशन आवश्यक है।

क्रियाकलाप

बच्चों की सहयोग से शिक्षक केन्द्र में बालिका मण्डल स्थापित करे। बच्चों से विचार विमर्श के बाद ही बालिका मण्डल में कोई घरेलू उद्योग स्थानीय सुविधाओं के आधार पर आरम्भ करे। बाद में अन्य उद्योग भी प्रारम्भ किए जा सकते हैं। लड़कियों को स्वतंत्र रूप से उद्योग चलाने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए तथा आवश्यक जानकारी व सहायता दी जानी चाहिए।

11. शासकीय संस्थाओं से प्राप्त होनेवाली ग्रामीण विकास सुविधाएं

शासन ने ग्रामीण विकास के लिए बहुत सी योजनाएं बनाई हैं और उनकी पूर्ति के लिए कई संस्थान भी खोल रखे हैं। यह दुर्भाग्य की बात है कि ग्रामीण जनता जानकारी के अभाव में उन सुविधाओं को प्राप्त नहीं कर पाती जो आसानी से उपलब्ध है। विशेषकर गांवों में रहने वाले पिछड़े वर्ग के लोग तो इन सुविधाओं का उपयोग नहीं कर पाते। अतः ऐसी सारी योजनाओं की जानकारी बच्चों को देना आवश्यक है।

अधिकांश ग्रामीण बालक-बालिकाएं खेती के काम धन्धों या अन्य उद्योगों में लगे रहते हैं। इनके विकास में ये शासकीय संस्थाएं बहुत मदद कर सकती हैं। अतः शिक्षक को चाहिए कि अपने ग्राम या जिले में उपलब्ध शासकीय सेवाओं से बच्चों को सम्पर्क द्वारा परिचित कराएं। यहां उदाहरण के लिए ऐसी कुछ संस्थाओं के नाम तथा उनके मुख्य काम दिए गए हैं:—

1.	विकास खण्ड (ब्लाक)	गांव के विकास सम्बन्धी सारे कार्यों का नियोजन यहां से होता है।
2.	ग्रामीण बैंक	विभिन्न उद्योग धन्धों के लिए ऋण की व्यवस्था यहां से होती है।
3.	जीवन बीमा निगम	बचत तथा ऋण प्राप्त करने का साधन।
4.	कृषि केन्द्र	कृषि सम्बन्धित समस्याओं जैसे अच्छे बीज या अन्य समस्याओं के समाधान व साधन के रूप में।
5.	सहकारी समिति	खेती या उधोग धन्धों को सहकारिता द्वारा कैसे किया जाए।
6.	पशुपालन एवं चिकित्सा केन्द्र	मवेशियों की नस्ल, गर्भाधान एवं रोग सम्बन्धी समस्याओं के निराकरण के लिए।

7. रोजगार का कार्यालय — रुचि अनुकूल रोजगार सम्बन्धी जानकारी एवं सहायता के लिए।

8. पोस्ट आफिस — पत्र, मनीआर्डर, बचत खाते आदि के लिए।

ऊपर उदाहरण के रूप में कुछ संस्थाओं के नाम और कार्य संक्षेप में बताए गये हैं। जिन स्थानों पर जिस तरह की संस्थाएं हों, शिक्षक उनसे सम्पर्क करें। उनके अधिकारियों से सम्पर्क करके बच्चों को वहाँ ले जाएं और उन कार्यालयों, संस्थाओं आदि की कार्य-प्रणाली से अधिकरियों के माध्यम से परिचत कराएं।

किसी भी संस्था में बच्चों को सम्पर्क के लिए ले जाने से पूर्व शिक्षक उन्हें कुछ प्रश्न दे दें जिनके उत्तर वे जानने की चेष्टा करें, जैसे:—

1. इस संस्था का मुख्य कार्य क्या है ?
2. इस संस्था से गांवों को क्या सुविधा मिलती है ?
3. सुविधाएं प्राप्त करने के लिए क्या-क्या करना होता है ?

12. जनतांत्रिक प्रणाली से परिचय

हर गांव में एक ग्राम पंचायत तथा एक न्याय पंचायत होती है। ग्राम पंचायत का कार्य गांव की व्यवस्था को देखना होता है। वह पीने के पानी, गलियों-सड़कों की सफाई, नालियों के निर्माण, रोशनी की व्यवस्था और अन्य भौतिक समस्याओं के निराकरण पर ध्यान देती है। पुस्तकालय, स्वास्थ्य सम्बन्धी, मनोरंजन एवं सांस्कृतिक केन्द्र, सामाजिक शिक्षा के कार्यक्रमों आदि का प्रबन्ध भी करती है।

शिक्षक को चाहिए कि ग्राम पंचायत की बैठकों का अवलोकन वह बच्चों द्वारा कराएं और बच्चों से निम्नलिखित बातों पर ध्यान देने को कहें:—

1. बैठक में किन मुख्य समस्याओं पर विचार किया गया ?
2. समस्याएं किसके सम्मुख रखी गई ?
3. समस्याओं पर बहस किस प्रकार हुई ?
4. निर्णय किस प्रकार दिए गए ?

इन बातों की जानकारी बच्चे जब अवलोकन के माध्यम से करेंगे तो उन्हें जनतांत्रिक प्रणाली का बोध आसानी से हो सकेगा।

इसी प्रकार हर न्याय पंचायत का कार्य हैं, गांव में कानून एवं सुरक्षा की व्यवस्था करना। अतः जब कोई लड़ाई झगड़ा होता है या कानून का उल्लंघन होता है तो ऐसे विवाद न्याय पंचायत में लाए जाते हैं। अतः शिक्षक को चाहिए कि वह बच्चों को किसी ऐसी बैठक में ले जाए जहाँ न्याय पंचायत किसी विषय पर बहस कर रही हो। बच्चों को अवलोकन से पहले कुछ प्रश्न दिए जाएं जिन पर वे ध्यान दें और उनका उत्तर अवलोकन द्वारा प्राप्त करें. जैसे:—

1. न्याय पंचायत में मामला किस तरह ले जाया गया ?
2. न्याय पंचायत किस प्रकार बुलाई गई ?

3. न्याय पंचायत ने किन समस्याओं पर विचार किया ?
4. विचार करने की प्रणाली क्या थी ?
    (क) अभियुक्त के बयान
    (ख) गवाहों के बयान आदि
5. सदस्यों ने किस प्रकार अपने मत रखे ?
6. निर्णय किस प्रकार लिया गया ?

इन दोनों प्रकार के अवलोकनों के माध्यम से किसी भी समस्या का हल जनतांत्रिक प्रणाली द्वारा कैसे निकाला जाए, यह स्पष्ट हो जाएगा। साथ ही ग्राम पंचायत के द्वारा अपने अधिकारों का बोध बच्चों को हो सकेगा तथा न्याय पंचायत के द्वारा उन्हें अपने कर्तव्यों का ज्ञान दिया जा सकेगा।

अधिकारों और कर्तव्यों को स्पष्ट करने के लिए अन्त में शिक्षक एक चर्चा का आयोजन कर सकता है जिसमें बच्चों से यह पूछा जाए कि वे ग्राम पंचायत से क्या अपेक्षा करते हैं और न्याय पंचायत से उनको क्या अपेक्षाएं है।

13. अन्ध विश्वास

हम हर दिन कई तरह के कार्य करते हैं या होते देखते हैं। ये कार्य शारीरिक, मानसिक अथवा व्यवहार संबंधी हो सकते हैं। परन्तु प्रत्येक स्थिति में हम पाते हैं कि प्रत्येक कार्य के पीछे कोई न कोई कारण अवश्य होता है। कभी-कभी हम किए गए कार्य के बारे में सही कारण नहीं बता पाते। तब हम अन्दाज से कोई कारण ढूंढने की कोशिश करते हैं। यह अन्दाज कभी सही होता है और कभी गलत। पर मनुष्य शुरू से ही काम और उसके कारण के सम्बन्ध का पता लगाने की कोशिश में लगा रहा है। सामान्य जीवन में कई कार्य-कारण सम्बन्ध स्थापित किए जा चुके हैं। समय के साथ-साथ नई जानकारी मिलने पर ऐसे सम्बन्धों पर नई रोशनी पड़ती है। परन्तु कुछ कार्य ऐसे भी हैं जिनके कारणों के आधार भ्रामक तथा कभी-कभी हानिकारक होते हैं। परन्तु कई लोग अब भी ऐसे कार्य और कारण के संबंध को सही मानते हैं। इसका कारण सही जानकारी का अभाव अथवा नई जानकारी को अपनाने के लिए तैयार न होना हो सकता है। ऐसी धारणाओं की पुष्टि कभी-कभी मनुष्य के अपने एक दो अनुभवों से भी हो जाती है और इस प्रकार ऐसी अवैज्ञानिक धारणाओं में दृढ़ता आती जाती है। उदाहरण के लिए किसी कार्य को आरंभ करते समय अथवा घर से बाहर जाते समय छींक आने पर मार्ग में बाधा पड़ने की शंका करना, बिल्ली के रास्ता काटने पर संकट की आशंका करना आदि। हमारे समाज में इस प्रकार की अनेक परम्पराएं, मान्यताएं और मत फैले हुए हैं। ऐसी परम्पराओं, मान्यताओं अथवा मतों को बिना समझे-बूझे मानना ही अन्ध विश्वास है। (याद रहे अन्ध विश्वास दो शब्दों अर्थात अन्ध यानी अन्धा तथा विश्वास से मिलकर बना है)।

हमारे समाज के सभी वर्गों में अनेक अंधविश्वास कई रूपों में प्रचलित हैं। इनमें शकुन-अपशकुन, झाड़-फूंक, खान-पान आदि के संबंध में कई तरह की कहावतें

और कथाएं आदि प्रमुख हैं। अंध विश्वासी लोग न केवल स्वयं नुकसान उठाते हैं, कभी-कभी दूसरों को भी नुकसान पहुँचा सकते हैं। अन्ध विश्वासों से होने वाले नुकसानों को ध्यान में रखते हुए उन्हें निम्नलिखित तीन समूहों में बांटा जा सकता है—

1. ऐसे अन्ध विश्वास जो हमें तथा समाज के अन्य लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाते। इस प्रकार के अन्धविश्वासों में दिशा-शूल का विचार करना, घर से बाहर अथवा काम पर जाते समय दूध पीकर न जाना, हरी डाल पर बैठे कौवे के बोलने को मेहमानों के आने का संकेत मानना, उल्लू के बोलने को घर में बीमारी अथवा मृत्यु का संकेत मानना, आदि।
2. ऐसे अन्ध विश्वास जिनको मानने से सामान्यतया कोई नुकसान नहीं होता परन्तु कभी-कभी नुकसान हो सकता है, जैसे बिल्ली का रास्ता काटना, काम आरम्भ करते अथवा घर से बाहर निकलते समय छींक आने को अपशकुन मानना, खान-पान संबंधी कहावतों पर विश्वास करना, नजर से बचाने के लिए जच्चा-बच्चा को अंधेरे तथा गंदे कमरे में रखना या बच्चे को गंदा रखना आदि। उदाहरण के लिए बिल्ली का रास्ता काटना या छींक आने से रुक जाने पर तो कुछ नहीं होगा परन्तु यदि गाड़ी पकड़नी हो या अस्पताल जाना हो तो देर होने से नुकसान हो सकता है।
3. ऐसे अन्ध विश्वास जिन्हें मानने से नुकसान होने की संभावना रहती है, जैसे झाड़-फूँक द्वारा बीमारी का इलाज करना, बीमारी को देवी प्रकोप मानना, बच्चे के जन्म के समय जच्चा को अस्पताल न ले जाना, नजर लगने को बीमारी का कारण मानकर टोना टोटका करके उसका उपचार करना आदि।

बच्चों से चर्चा करते समय उनके क्षेत्र में प्रचलित ऐसे अंध विश्वासों को अवश्य शामिल कर लेना चाहिए। यह कार्य बच्चों से प्रश्न पूछकर किया जा सकता है। हो सकता है बच्चे अनजाने में अन्धविश्वासों को मानते चले आ रहे हों। अतः उन्हें कुछ उदाहरण देने की जरूरत पड़ सकती है। किसी सामान्य अन्ध विश्वास या उससे संबंधित किसी घटना का उदाहरण देकर ऐसा किया जा सकता है। प्रत्येक समूह के अन्ध

विश्वासों पर बच्चों से चर्चा कर उन्हें निम्नलिखित बातें समझने में सहायता दी जा सकती है :

1. प्रत्येक अन्ध विश्वास के बारे में जो मत प्रचलित हैं वह निराधार है। यदि ऐसा न होता तो सभी परिस्थितियों में अन्ध विश्वास के लिए कही गई बातें सही होतीं।
2. अन्ध विश्वास के संबंध में प्रचलित मान्यता हमारे जीवन की किसी घटना में सही प्रतीत हो सकती हैं परन्तु यदि ऐसी बहुत सी घटनाओं का विश्लेषण करें तो हम पायेंगे कि वह बहुत कम बार सही होती है।
3. अन्ध विश्वासों को मानने से हम नुकसान उठा सकते हैं। कभी-कभी इससे दूसरों लोगों को भी नुकसान हो सकता है।
4. अन्धविश्वासों को मानने का एक कारण सही जानकारी का अभाव है।
5. प्रचलित अन्धविश्वास को तोड़कर हम स्वयं इस बात की जाँच कर सकते हैं कि वे सहीं हैं या नहीं।

ऊपर लिखी बातों को जबरदस्ती मनवाना उचित नहीं होगा। अतः शिक्षक को चाहिए कि वह बच्चों से कुछ अन्धविश्वासों के कारणों तथा उनके प्रभावों की चर्चा करे तथा उन्हें इनकी सच्चाई के बारे में जांच करने को उत्साहित करे। इससे बच्चों में सही वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होगा।

इसके लिए कुछ उदाहरणों की चर्चा यहां की जा रही है। हमारे समाज में सप्ताह के एक या एक से अधिक दिन (जैसे मंगल या बुधवार को) किसी विशेष दिशा (जैसे उत्तर दिशा की ओर) में यात्रा करना ठीक नहीं समझा जाता। इसे दिशा शूल का विचार करना कहा जाता है। बच्चों से पूछकर या स्वयं बताकर शिक्षक उस क्षेत्र में दिशा-शूल के संबंध में प्रचलित अन्धविश्वासों की सूची बना सकता है। चर्चा द्वारा बच्चों को यह समझाया जा सकता है कि यदि दिशा शूल के संबंध में मान्यता सही होती तो उस दिन यात्रा करने वाले सभी लोगों का कुछ न कुछ अनिष्ट अवश्य होता। परंतु वास्तविकता यह नहीं है।

जच्चा-बच्चा के संबंध में भी अनेक अन्धविश्वास प्रचलित हैं, जैसे प्रसव के

समय गर्भवती स्त्री को अस्पताल ले जाना ठीक नहीं माना जाता, कहीं-कहीं जच्चा-बच्चा को अंधेरे व गन्दे स्थान में रखा जाता है, उन्हें अशुद्ध माना जाता है तथा जच्चा को खाने-पीने के लिए अनेक पदार्थों को देने से मना किया जाता है। चर्चा द्वारा बच्चों को यह समझाया जा सकता है कि अस्पतालों में जच्चा-बच्चा के कमरे को खासतौर से हवादार तथा रोशनी वाला बनाया जाता है जिससे उनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव न पड़े। यदि इस संबंध में प्रचलित अन्धविश्वास सही होते तो वे सभी बीमार पड़ जाते तथा कोई भी अस्पताल न जाता। इसी प्रकार ऐसी नर्स या दाई से घर में प्रसव कराने से जिसे उचित प्रशिक्षण न मिला हो जच्चा व बच्चा दोनों को जान का खतरा हो सकता है। अस्पतालों व स्वास्थ्य केन्द्रों पर प्रशिक्षित डाक्टर व नर्स तथा अन्य सुविधाएं उपलब्ध होती हैं जिससे जच्चा बच्चा की हर प्रकार से अच्छी देखभाल की जा सकती है। वे जच्चा बच्चा की सही खुराक के बारे में भी बता सकते हैं।

इसी प्रकार छोटे बच्चे की बीमारी को प्राय: नजर लगने अथवा देवी के प्रकोप के रूप में लिया जाता है। उपचार के लिए पहले झाड़-फूंक कराई जाती है। बच्चों से उनके आसपास की इस प्रकार की घटनाओं पर चर्चा की जा सकती है जिनमें अन्ध-विश्वासों के कारण जच्चा-बच्चा या छोटे बच्चे की जान का खतरा हो गया हो और अन्त में अस्पताल जाकर इलाज कराना पड़ा हो। ऊपर लिखी बातों पर बालिकाओं से विशेष रूप से चर्चा करना आवश्यक होगा।

छींक आना, बिल्ली द्वारा रास्ता काटना, उल्लू का बोलना, कुत्ते व बिल्ली का रोना, आँख फड़कना आदि कुछ सामान्यतया प्रचलित अन्धविश्वास हैं जिनके संबंध में प्रचलित मान्यताओं की जाँच बच्चे स्वयं कर सकते हैं। इसके लिए शिक्षक बच्चों को कह सकता है कि वे स्वयं देखें कि क्या सचमुच इन अन्धविश्वासों को न मानकर कोई नुकसान होता है। इस काम के लिए कोई बनावटी परिस्थितियाँ पैदा करने की जरूरत नहीं है। बच्चे अपने जीवन की घटनाओं का चाहे वह कभी भी हुई हो, विश्लेषण कर अपने आप निर्णय पर पहुँच सकते हैं। पर शिक्षक को यह सावधानी अवश्य रखनी चाहिए कि बच्चे केवल एक घटना के आधार पर अन्धविश्वास के संबंध में प्रचलित मान्यता को सही या गलत न मानने लगें।

14. प्राकृतिक प्रकोप

लगभग हर साल देश के कई हिस्सों में बाढ़, सूखा, महामारी आदि प्राकृतिक प्रकोपों से धन एवं जानमाल का नुकसान होता रहता है। नदियों के आसपास बसे गांवों में बाढ़ तथा दूर बसे गांवों में सूखा नियमित रूप से आता रहता है। इसके अतिरिक्त महामारी के रूप में फैलने वाले रोग जैसे चेचक, हैजा आदि भी जनसंख्या के बड़े भाग को प्रभावित करते हैं।

शिक्षकों को अपने बच्चों को इन प्रकोपों के पैदा होने के कारण, इनसे बचाव के उपाय तथा इनके हट जाने के बाद की सावधानियों के बारे में बताना होगा।

प्राकृतिक प्रकोप क्या है ?

प्राकृतिक प्रकोप प्रकृति द्वारा निर्मित वे आपदाएं हैं जो कि हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं। लोग इन्हें देवी देवताओं का प्रकोप मानकर अपना समय, शक्ति और धन झाड़फूंक आदि में नष्ट कर देते हैं। इन प्रकोपों के पैदा होने के कारणों को (वैज्ञानिक) बच्चों को समझाना चाहिए तथा अन्ध विश्वास दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए ताकि लोग इनका मुकाबला अधिक साहस के साथ कर सकें और केवल भाग्य का फेर समझकर बैठे न रहें।

प्राकृतिक प्रकोप क्यों पैदा होते हैं ?

बाढ़ :—जब नदी या तालाब में उसकी सीमा से अधिक पानी आ जाता है तो यह चारों ओर फैलकर बड़े क्षेत्र को जलमग्न कर देता है। बाढ़ आने के दो कारण प्रमुख हैं :—

1. नदियों और तालाबों में वर्षा का पानी अपने साथ मिट्टी भी लाता रहता है। मिट्टी इनकी तलहटी में जमा होकर इसे छिछला बना देती है तथा इनकी क्षमता

कम कर देती है।

2. पर्वतों और जलग्रहण क्षेत्रों में पेड़ पौधों के विनाश के कारण वर्षा का पानी जमीन में रिस कर अन्दर नहीं जा पाता तथा सतह पर प्रबल वेग से बहता हुआ नदी में आ गिरता है। इसी वेग के कारण अपने साथ मिट्टी भी लाता है। यह ऊपजाऊ मिट्टी खेतों से भी आती है। पेड़ पौधे न केवल वर्षा के वेग को कम करते हैं वरन् मिट्टी का कटाव भी रोकते हैं। इनकी कमी के कारण वर्षा का पानी निरंकुश होकर बाढ़ का रूप धारण कर लेता है।

महामारी :—बहुत छोटे रोगाणुओं के कारण महामारियां पैदा होती हैं। रोगाणुओं का प्रसार बीमार व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति तक अनेक माध्यमों से होता है जैसे (1) आपसी सम्पर्क, (2) हवा द्वारा, (3) पानी द्वारा, (4) मक्खियों व मच्छरों द्वारा। सभी महामारी वाले रोग छूत के रोग होते हैं। अतः यदि इनके प्रसार साधनों को नष्ट कर दिया जाए तो इनका प्रकोप कम हो जाता है जैसे यदि रोगी को सम्पर्क से अलग कर दिया जाए तो रोग नहीं फैल सकता। साफ पानी, भोजन और आवास द्वारा भी रोगों से बचा जा सकता है। यदि आपके गांव स्वच्छ होंगे तो मक्खियों और मच्छरों द्वारा भी इनका फैलाव कम हो जाएगा। इन रोगों से बचने का सर्वोत्तम उपाय है 'रोग निरोधक टीके लगवाना।' टीके लगवाने से शरीर में रोग निरोधक क्षमता बढ़ जाती है। इनके बारे में छूत के रोगों वाले अध्याय में विस्तार से बताया गया है।

महामारी किसी देवी देवता का प्रकोप नहीं होती। यह इसी बात से जाहिर है कि शीतला या चेचक को बड़ी माता का प्रकोप मानते थे पर अब हमारे देश में इस रोग का उन्मूलन किया जा चुका है। अब प्रमुख रोग हैं हैजा और टायफाइड ज्वर। इनसे टीका लगवाकर तथा ऊपर बताए उपायों से बचा जा सकता है। शिक्षक को प्राकृतिक आपदाओं के कारण तथा उनसे बचाव के उपायों के बारे में चर्चा करनी पड़ सकती है। अच्छा यह होगा कि बच्चों को, इसके बारे में गांव या क्षेत्र के अनुभवी लोगों द्वारा जानकारी दी जाए। आपदाओं का सामना कुछ बालक-बालिकाएं बहादुरी से करते हैं। उन्हें पुरस्कार भी दिया जाता रहा है। इनकी कहानियां अखबारों या पत्रि-

काओं में छपती रहती हैं। इन्हें भी पढ़कर सुनाया जा सकता है। यदि किसी फिल्म या रेडियो कार्यक्रम में इस प्रकार की चर्चा हो और आपको सुलभ हो तो उसकी मदद ली जा सकती है।

15. अस्पताल

कुछ स्थान एवं सुविधाएं केवल एक आदमी या उसके परिवार के लोगों के लिए होती हैं। इन्हें व्यक्तिगत स्थान या सुविधा कहते हैं। पर कुछ स्थान या सुविधाएं समाज के लिए होती हैं। इन्हें जन सुविधाएं कहते हैं। जैसे अस्पताल, रेलगाड़ियाँ, बसें आदि। इन जन सुविधाओं में अस्पतालों का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है।

आपके क्षेत्र में कई प्रकार के अस्पताल हो सकते हैं। हो सकता है कि वहाँ पर कोई भी अस्पताल न हो। पर आपके क्षेत्र के आसपास तो कोई न कोई अस्पताल जरूर होगा। छोटे अस्पतालों को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र या चिकित्सालय कहते हैं। इन अस्पतालों में एक या दो डाक्टर कुछ कम्पाउंडर और अन्य कर्मचारी होते हैं। इनमें केवल साधारण रोगों का इलाज होता है। डाक्टर साहब मरीज को देखकर रोग का निदान करते हैं और इलाज की व्यवस्था करते हैं। जटिल रोगों का इलाज कहाँ कराना चाहिए इसके बारे में भी जानकारी देते हैं। आमतौर से इन चिकित्सालयों में रोगी को भर्ती कराने का इंतजाम नहीं होता और साथ ही आपरेशन आदि की सुविधाएं भी नहीं होती। साधारण रोगों के इलाज के साथ-साथ यहाँ के डाक्टर रोगों के रोकथाम के उपाय भी करते हैं। इनमें टीके लगवाने की व्यवस्था भी रहती है।

कुछ अस्पताल बहुत बड़े होते हैं। इनमें कई विभाग होते हैं। प्रत्येक रोगों या अंग के इलाज के लिए अलग विभाग होते हैं। जैसे—आँख के रोगों का विभाग, दाँत की चिकित्सा का विभाग, हड्डी विभाग, साधारण रोगों का विभाग, दिल के रोगों का विभाग, चर्म रोग विभाग, छुतहे रोग का विभाग, तपेदिक विभाग, आदि। यदि आपको पता है कि रोगी को क्या तकलीफ है तो आप इन विभागों में सीधे जा सकते हैं। इन अस्पतालों में बहुत से डाक्टर, नर्सें, कम्पाउंडर और अन्य कर्मचारी होते हैं। यहाँ पर जटिल रोगों की चिकित्सा तथा आपरेशन की व्यवस्था भी होती है। बड़े अस्पतालों के

प्रत्येक विभाग के साथ वार्ड होते हैं। इनमें जटिल रोगों के रोगी भर्ती किए जाते हैं तथा बिस्तरों पर रखे जाते हैं। वहीं पर इनकी पूरी देखभाल व चिकित्सा की जाती है। आमतौर पर अस्पताल निम्नलिखित काम करते हैं।

1. रोगी के रोग का निदान (कौन सा रोग) और उसका उचित उपचार करना।
2. यदि अस्पताल के आस पास कोई छूत का रोग फैल रहा हो तो उसके बारे में आँकड़े इकट्ठा करना तथा स्वास्थ्य अधिकारियों तक पहुंचाना। रोग फैलने न पाए, इसका इंतजाम करना।
3. छुतहे रोगों की रोकथाम के लिए टीके लगाना। जैसे बच्चों में कुकर-खाँसी, टिटनेस, पोलियो, डिफ्थीरिया आदि जानलेवा रोग होते हैं। उन्हें इनसे बचाने के लिए टीके लगाना। इसी प्रकार बड़े लोगों व बच्चों को हैजा, चेचक, टायफाइड, तपेदिक आदि के टीके लगाना।

प्रत्येक अस्पताल के उचित उपयोग के लिए हमें कुछ नियमों का पालन करना अनिवार्य होता है। बच्चों को आपके क्षेत्र में उपलब्ध अस्पतालों और चिकित्सालयों में स्थित सुविधाओं के बारे में बताया जाना अच्छा होगा ताकि कभी आवश्यकता पड़ने पर बच्चा शीघ्रातिशीघ्र उपचार की व्यवस्था करा सके। इसके लिए आप किसी डाक्टर या अस्पताल के विश्वसनीय कर्मचारी की सहायता ले सकते है।

1. बच्चों को इस बात की जानकारी देनी चाहिए कि अस्पतालों या चिकित्सा-लयों में किन रोगों के इलाज व टीके की व्यवस्था है।
2. इनमें मरीजों को देखने का क्या समय निश्चित है। यदि रोगी वही पर भरती है तो उन्हें देखने और उनसे मिलने का क्या समय है। वहीं पर भरती मरीज को अस्पताल से क्या सुविधाएं मिलती हैं।
3. बड़े अस्पतालों में एक वाह्य रोगी विभाग होता है। जो रोगी पहली बार अस्पतालों में जाते हैं उन्हें पहले वहीं जाना चाहिए। वहाँ भी रोगी को दिखाने के पहले एक वाह्य रोगी पर्चा बनवाना पड़ सकता है। कुछ अस्पतालों में पर्चा नहीं भी बनवाना पड़ता है। इसकी जानकारी भी

जरूर दी जाए।

4. दवा के पर्चे रोगी को दिए जाते हैं। इन पर्चों को बहुत संभाल कर रखना चाहिए क्योंकि इससे इलाज में सुविधा होती है और डाक्टर का काम भी आसन हो जाता है।
5. अस्पतालों के कायदे कानूनों का पालन करना अत्यंत आवश्यक होता है क्योंकि इनके उल्लंघन से समाज को तथा मरीजों को बड़ी असुविधा होती है। अस्पतालों में शोर करना, गंदगी करना और उसके सामान्य कामकाज में बाधा पहुंचाना समाज विरोधी काम है।

अस्पतालों के बारे में उचित जानकारी देना शिक्षक का काम है। इससे बच्चों को ही नहीं समाज के और लोगों को भी सुविधा होगी।

16. सार्वजनिक उपयोग के स्थान एवं वस्तुओं की सुरक्षा एवं सदुपयोग

हर गांव में कुछ स्थान ऐसे होते हैं जिनका सार्वजनिक उपयोग होता है, जैसे मंदिर, नल, कुआं आदि। इन स्थलों की सुरक्षा एवं सदुपयोग की जिम्मेदारी समाज की होती है, किसी व्यक्ति की नहीं। परन्तु ऐसा देखा गया है कि लोग एक ओर तो इनकी देखभाल नहीं करते तथा दूसरी ओर अनजाने में या जानबूझ कर इन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। इसके कारण यह स्थल प्रायः गंदे, अरुचिकर तथा अस्वास्थ-कर दिखाई देते हैं। इन स्थलों के उचित उपयोग, उनकी सुरक्षा तथा रख-रखाव की जानकारी देना प्रत्येक शिक्षक के लिए अनिवार्य-सा हो जाता है क्योंकि इसके द्वारा शिक्षक बच्चों में इनके प्रति अपनत्व की भावना पैदा कर पाएगा। इसके लिए प्रत्येक शिक्षक को निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए।

1. शिक्षक बच्चों के साथ घूम कर यह पता लगा सकता है कि गांव या आसपास के गांवों में कौन-कौन से सार्वजनिक स्थल हैं।
2. पता लगाते समय इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि इनका दुरुपयोग तो नहीं हो रहा है? यदि है तो किस प्रकार का है तथा उससे उस स्थान को क्या नुकसान हो रहा है? किसी भी स्थान की उपेक्षा भी दुरुपयोग मानी जा सकती है। इसके अलावा दुरुपयोग निम्न प्रकार से भी हो सकते हैं:—

क—मिट्टी खोद कर ले जाना या गड्ढे बनाना

आपने यह अवश्य पाया होगा कि लोग अपने हित के लिए सार्वजनिक स्थलों की मिट्टी खोदकर ले जाते हैं तथा छोड़ जाते हैं गड्ढे। कभी-कभी अपने घरों का कूड़ा-कचरा व मलवा भी यहां फेंक जाते हैं। फलस्वरूप ये

स्थान ऊबड़-खाबड़ तथा अनुपयोगी हो जाते हैं।

ख—पेड़ पौधों को तोड़ना या काटना

किसी भी बगीचे से या सार्वजनिक स्थलों के पौधों से या सड़क के किनारे लगे वृक्षों से डाल-फूल-फल आदि तोड़ने में लोग जरा भी नहीं हिचकिचाते। इस प्रकार से उन स्थलों की शोभा तथा उपयोगिता कम हो जाती है।

ग—सार्वजनिक भवनों को क्षति पहुंचाना

उपयुक्त देखभाल तथा दुरुपयोग के कारण हमारे अनेक सार्वजनिक भवन गंदे व अव्यवस्थित दिखाई देते हैं। आमतौर से लोग दीवारों पर चित्रकारी, नाम, चुनाव प्रचार, अश्लील चित्र तथा वाक्य आदि लिख देते हैं। खिड़कियों के कांच तोड़ देते हैं तथा फर्नीचर, दरवाजे आदि तोड़ डालते हैं। इस तरह के भवन सभ्य समाज के लिये कलंक की बात है।

घ—सार्वजनिक स्थलों पर पशु चराना या बांधना

आमतौर से लोग अपने पशु इन स्थलों पर चराते हैं या उन्हें बांधते हैं। पशुओं के कारण गंदगी पैदा होती है तथा गंदगी से बीमारियां। इन पशुओं के कारण वाटिका नष्ट हो जाती है। यह एक अत्यन्त गलत बात है।

ङ—सार्वजनिक स्थलों पर गंदगी करना

यह समस्या बड़ी भारी है क्योंकि लोग जाने अनजाने गंदगी किया करते हैं। थूकना, फल के छिलके बिखेरना, बीड़ी-सिगरेट, दियासलाई के टुकड़े फेंकना, घर कर कचरा गलियों आदि में डालना, दोने, कुल्हड़ आदि को इधर-उधर फेंकना, आदि क्रियाओं द्वारा ये स्थल गंदे किए जाते हैं। यह समस्या बड़ी विकट है क्योंकि लोगों को शायद इस बात का आभास तक नहीं रहता कि वे कोई गलत काम कर रहे हैं।

च—नियम का उल्लंघन तथा गलत आचरण

समाज में रहने के कुछ नियम व सिद्धांत होते हैं। इनके उल्लंघन से अव्यवस्था फैलती है। अव्यवस्था से इसके कार्य में बाधा पड़ती है। अतः जो व्यक्ति सार्वजनिक स्थलों पर शोर शराबा, उछलकूद आदि करते हैं तथा नियमों का पालन नहीं करते उन्हें तो संभवतः रोकना कठिन होगा पर बच्चों में इसी उम्र से इनके प्रति अच्छे आचरण की आदत डालने से वे उपयोगी नागरिक बन सकेंगे।

3. बच्चों को सभी सार्वजनिक स्थानों पर ले जाकर उनकी उपयोगिता, रख-रखाव के ढंग तथा सुरक्षित व स्वच्छ रखने के उपायों पर चर्चा करनी चाहिए।
4. कुछ सार्वजनिक स्थानों पर सुधार कार्य भी किया जा सकता है इस प्रकार बच्चों में इनके प्रति रुचि, अपनत्व व समाज सेवा का भाव पनपेगा।

प्रायः सभी गांवों में इनमें से कुछ सार्वजनिक स्थल अवश्य पाये जाते हैं:—

1. **मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर या अन्य पूजा स्थल**

इन पूजा स्थलों की पवित्रता बनाए रखने के नियम इनकी सफाई, इन्हें आकर्षक बनाने के ढंग पर चर्चा की जा सकती है। इनके माध्यम से सर्वधर्म समानता, धार्मिक सहिष्णुता, सभी मनुष्यों में समानता, ऊंच-नीच, छुआ-छूत आदि पर भी चर्चा की जा सकती है।

2. **ग्राम पंचायत भवन**

इसकी सुरक्षा तथा स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए और यदि संभव हो तो सरपंच की सहायता से इसकी कार्य प्रणाली और सदुपयोग पर चर्चा की जानी चाहिए।

3. **ग्राम स्वास्थ्य केन्द्र**

प्रत्येक अस्पताल के कुछ नियम होते हैं। इसकी जानकारी बच्चों को अवश्य

दें। स्वास्थ्य केन्द्र के संचालक या किसी कर्मचारी की सहायता से अपने गांव की समस्याओं (स्वास्थ संबंधी), गांव की आम बीमारियों तथा उनकी रोकथाम के उपायों, पर चर्चा की जानी चाहिए। बच्चों को इस बात की जानकारी अवश्य दें कि यहां पर किन रोगों का निदान व चिकित्सा की जा सकती है तथा कब बड़े अस्पताल जाना चाहिए। साथ ही कौन-कौन से टीके उपलब्ध हैं।

4. डाक घर

अस्पताल की तरह डाक घर द्वारा संचार प्रणाली, डाक वितरण व्यवस्था, मनीआर्डर फार्म भरना, बचत बैंक में खाता खोलने के ढंग आदि की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। साथ ही डाक घर के नियम, सदुपयोग पर भी चर्चा करनी चाहिए।

इसी प्रकार संभव है कि आपके गांव में स्कूल भवन, पुरातत्व स्मारक, सड़कें और रेल लाइनें भी हों। इनके सदुपयोग तथा रख-रखाव पर भी चर्चा की जा सकती है।

5. सार्वजनिक नल, कुआं, ताल-तलैया, पोखर और नदी

इनका महत्व इसलिए है कि यहीं से गांव के लोग पानी की व्यवस्था करते है। पानी की स्वच्छता, सदुपयोग तथा नलकूप (यदि हों) की कार्यप्रणाली की जानकारी देनी चाहिए। जल प्रदूषण से अनेक बीमारियां फैलती हैं। नदी बाढ़ का कारण बन सकती है। इन सब बातों पर भी प्रकाश डालना चाहिए।

6. सार्वजनिक सभा स्थल

आदिवासी क्षेत्रों में ऐसे स्थान होते हैं जहां अवकाश के समय लोग इकठ्ठा होकर विभिन्न सामाजिक कार्य करते हैं। इन स्थलों पर चलने वाले कार्यक्रम, इनकी कार्यप्रणाली, इनकी सफाई, सजावट, रख-रखाव और इनके सामाजिक उपयोग पर चर्चा करनी चाहिए।

7. चरागाह, वाटिका एवं वृक्ष

ऐसे स्थल तो प्रायः सभी गांवों में होते ही हैं जहां बच्चे खेलते हैं, ढोर चरते हैं तथा बड़े लोग पेड़ की छाया में चर्चा करते हैं। इनके प्रति उदासीनता बरती जाती है। बच्चों को इन्हें सजाना व संवारना चाहिए साथ ही इनके महत्व पर विचार करना चाहिए। पेड़ पौधे हमारे लिए क्यों उपयोगी हैं? इनकी देखभाल कैसे की जाए? इनके भिन्न-भिन्न अंग कौन से हैं (जड़, तना, पत्ती, फल, और फूल) तथा इनके क्या काम हैं, आदि भी समझाया जा सकता है। कुछ वृक्षों जैसे पीपल, बरगद आदि की लोग पूजा करते हैं परन्तु इस अंधविश्वास की जड़ में है उनसे प्राप्त छाया, लकड़ी, पत्ते आदि। इस प्रकार की चर्चा द्वारा हम अंधविश्वासों को दूर करने में मदद कर सकते हैं।

17. पशुपालन

हमारे दैनिक जीवन से पशुओं का बड़ा गहरा सम्बन्ध है। वे न केवल खाने-पीने और पहनने की सामग्री उपलब्ध कराने में हमारी मदद करते हैं, बल्कि खेती के कामों में, सवारी के काम में, सामान ढोने में, यहाँ तक कि घर की रक्षा और शोभा बढ़ाने में भी हमारी मदद करते हैं। अतः पशुओं से प्रेम करना, उनकी अच्छी देखभाल करना और उनकी सुरक्षा का ध्यान रखना हमारा कर्तव्य हो जाता है। कुछ पशु तो इतने उपयोगी हैं कि उनसे प्राप्त वस्तुओं का हमारे लिए रोज-रोज का महत्व है। गाय, बैल, भैंस, बकरी और भेड़ ऐसी ही श्रेणी में आते हैं। इतना ही नहीं इन पशुओं के मरने के बाद भी हम इनके चमड़े, हड्डी, दांत, सींग, खुर इत्यादि से तरह-तरह की उपयोगी चीजों को बनाते हैं।

ऐसी बात नहीं है कि हमारे शिक्षक को इन बातों की जानकारी नहीं है। यहाँ केवल इतना ही तात्पर्य है कि पशुपालन जैसे उपयोगी विषय पर चर्चा करते समय या इसके बारे में कोई क्रिया-कलाप कराते समय शिक्षक ऐसी शिक्षण सामग्री को चुन सकें जो बच्चों के जीवन से निकट का सम्पर्क रखती हो। बच्चों के अपने परिवार में पाले गए पशुओं को ध्यान में रखकर ही पशुपालन के विभिन्न पहलुओं को उभारना शिक्षक के लिए उपयुक्त होगा। अच्छा होगा, नए ज्ञान और विज्ञान आधारित कार्यकलापों की जानकारी के लिए शिक्षक सफल गोपालक, पशु विशेषज्ञ, निकट की गोशाला अथवा पशु-फार्म से सम्पर्क रखे। साथ-साथ पशु चिकित्सा-केन्द्र, कृत्रिम गर्भाधान-केन्द्र, पशु-पालन-शिक्षण केन्द्र और पशु-मेला भी शिक्षक को न केवल अच्छी जानकारी प्रदान कर सकते हैं बल्कि ये स्थान अवलोकन और प्रदर्शन द्वारा व्यावहारिक ज्ञान देने में बच्चों के लिए बहुत ही सफल माध्यम बन सकते हैं। पशुओं के सुयोजक चारे और खाद्य पदार्थ, पशुओं को होने वाले साधारण रोग और उनके उपचार, पशुओं से प्राप्त

पदार्थों के सदुपयोग की विधियों से सम्बन्धित जो व्यावहारिक ज्ञान इन केन्द्रों में बच्चों को मिल सकता है वह अन्यत्र कहीं नहीं मिल सकता।

ऊपर कही गई बातों मे यह स्पष्ट हो जाता है कि शिक्षक इस विषय को पढ़ाने में चर्चा, चार्ट, भ्रमण और चाहे तो कहानी जैसी प्रक्रियाओं का भी अच्छा उपयोग कर सकता है। उदाहरण के लिए गोपालन सम्बन्धी कुछ आवश्यक संकेत नीचे दिए गए हैं जो शिक्षक को विषय वस्तु को समझने में सहायक होंगे। इसी उदाहरण के आधार पर भैंस पालन, बकरी पालन, भेड़ पालन और सूअर पालन पर भी विषय वस्तु बना सकेंगे।

गोपालन

दूध का उत्पादन, गाय भैंस की नस्ल और उनके खानपान पर निर्भर करता है। हमारी देशी गायें स्वभावतः कम दूध देने वाली होती हैं पर अच्छे खान-पान और अच्छी देखभाल से दूध की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक इसी प्रकार अच्छी नस्ल की गाय स्वभावतः अधिक दूध देने वाली होती हैं पर खान-पान और देखभाल में कमी होने से वे भी कम दूध देने लगती हैं। इस विषय को ठीक से बच्चों को समझाने के लिए सबसे पहले उस इलाके में प्रचलित गोपालन तरीके की जानकारी बच्चों के माध्यम से शिक्षक प्राप्त करें। ये जानकारी नीचे लिखे बिन्दुओं पर एकत्र की जाए।

1. इलाके में पाले जाने वाले पशुओं की नस्ल
2. हरे चारों के नाम जो वहाँ मुख्यतः उगाए जाते हैं
3. सूखे चारों के नाम-जो हरे चारे के अभाव में खिलाए जाते हैं
4. पौष्टिक खाद्य (कंसस्ट्रेट्स) जो व्यवहार में है
5. चरागाह की व्यवस्था
6. गाय रखने के घर की व्यवस्था
7. दूध का उपयोग
8. गोबर का उपयोग

इन तथ्यों के आधार पर समस्याओं की अच्छी जानकारी शिक्षक को मिल

सकती है। गोपालन के विभिन्न पहलुओं से सम्बन्धित ऐसी समस्याओं के बारे में बहुत अधिक नए ज्ञान का विकास हो चुका है। शिक्षक के मार्गदर्शन के लिए और उत्सुकता पैदा करने के लिए कुछ बिन्दुओं की चर्चा यहाँ की जा रही है।

1. **अच्छी नस्ल**—जैसे (क) हरियाणा, साहीवाला, थारपारकर, आदि।
(ख) संकर नस्लें-जर्सी, हालसटीन-फ्रीजन, ब्राउन-स्वीस आदि एवं भारतीय नस्लों के संयोग से।
2. **हरे चारे**— बरसीम, ल्यूसेन, लोबिया, ज्वार, मक्का, जई, नेपियर आदि।
3. **सूखे चारे**— गेहूँ का भूसा, धान का पोआल, मक्का ज्वार के सूखे डंठल आदि।
4. **पौष्टिक खाद**—गेहूँ का चोकर, दालों की चूनी, तिलहन से प्राप्त खलियाँ, चावल के छोटे-कण, मक्का-ज्वार के दाने के टुकड़े आदि।
5. **खनिज द्रव्य प्राप्ति के लिए सम्मिश्रत खुराक।**

आवास के लिए खुली और ऊँची जगह का होना, गाय घर के अंदर प्रत्येक गाय के लिए लगभग ढाई वर्ग मीटर स्थान का होना, मलमूत्र के उचित निकास का प्रबन्ध होना तथा स्वच्छ दूध प्राप्ति के साधन का होना, इन सभी बातों का भी ध्यान गोपालन में रखना आवश्यक है। साथ-साथ बच्चों को यह भी समझा देना है कि गर्भाधान के लिए अच्छी नस्ल का साँड या कृत्रिम गर्भाधान केन्द्रों की सुविधाओं के उपयोग से गाय के बछड़े अच्छी किस्म के होंगे। छूत की बीमारियों के लिए झाड़-फूंक का सहारा न लेकर पशुचिकित्सालय केन्द्र और मवेशियों के डाक्टर से मदद लेना आवश्यक है।

18. बेकार वस्तुओं का उपयोग

घरों, कारखानों, मिलों आदि में रोज कई ऐसी चीजें जमा हो जाती हैं जो काम की नहीं होतीं। उदाहरण के लिए घरों में साग-सब्जी के छिलके, गंदा पानी, धूल-मिट्टी, फटे पुराने कपड़े, काँच, प्लास्टिक व गत्ते के डिब्बे, शीशियाँ आदि। मिलों और कारखानों में लोहे व और बहुत सी धातुओं के टुकड़े, रासायनिक पदार्थ, टूटे-फूटे कलपुर्जे आदि। ये चीजें उन पदार्थों या वस्तुओं पर भी निर्भर करती हैं जो वहाँ बनती हैं। यदि क्षेत्र में कोई मिल या कारखाना हो तो शिक्षक बच्चों की सहायता से उन सभी चीजों की सूची बनवा सकता है जो उनके घरों तथा इन मिलों या कारखानों में काम की नहीं रहती हैं। चर्चा द्वारा बच्चों को यह समझाया जा सकता है कि यदि इन बेकार चीजों को इकट्ठा करते जाएं तो कुछ ही समय बाद उन्हें रखने के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। इसीलिए इन चीजों को फेंकने का कोई न कोई प्रबन्ध किया जाता है। उदाहरण के लिए घरों को झाड़ पोंछ कर साफ किया जाता है तथा कूड़ा कचरा बाहर फेंक दिया जाता है। इसी प्रकार मिलों व कारखानों द्वारा भी बेकार के पदार्थों को फेंकने के प्रबन्ध किए जाते हैं। बहुत से बेकार पदार्थ नदियों या समुद्र में फेंके जाते हैं। पदार्थों से छुटकारा पाने के लिए अनेक और भी विधियाँ उपलब्ध हैं।

इस प्रकार फेंकी हुई बेकार चीजों का क्या होता है? शहरों व नगरों में नगरपालिका के सफाई कर्मचारी इस कूड़े-कचरे को इकट्ठा कर एक निश्चित जगह पर ले जाते हैं जहाँ प्रायः उसे गड्ढे में दबा दिया जाता है। परंतु सफाई का ठीक प्रबन्ध न होने की वजह से या गाँवों में प्रायः कूड़ा कचरा गलियों व सड़कों में सड़ता रहता है। इससे बदबू फैलती है तथा बीमारी के कीटाणुओं को पनपने के लिए अच्छा स्थान व खुराक भी मिलती है। इसके अलावा और भी कई प्रकार के नुकसान हो सकते हैं। उदाहरण के लिए कूड़ा-कचरा, मल, गोबर आदि बरसात के पानी के साथ बहकर

आसपास के कुओं या नदियों आदि में भी चला जाता है। प्राय: मिलों व कारखानों का गंदापानी और कचरा भी बिना समझे बूझे नदियों में बहा दिया जाता है। इसके अतिरिक्त शहरों व गाँवों का कचरा भी नदी में बहा दिया जाता है। हमारी ऐसी अनेक आदतों से नदियों, कुओं आदि का पानी गन्दा हो जाता है। जब ऐसे पानी को पीने के काम में लाते हैं तो उससे अनेक बीमारियाँ फैल जाती हैं। शिक्षक बच्चों से ऐसी स्थिति से बचने के उपायों पर चर्चा कर सकता है। चर्चा द्वारा बच्चों को अपने आसपास के स्थानों में सफाई रखने के लिए व्यक्तिगत व सामाजिक स्तर पर किए जा सकने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा बनाने तथा उन्हें कार्यरूप में परिणत करने की योजना बनाई जा सकती है। क्षेत्र की परिस्थितियों तथा उपलब्ध सुविधाओं के आधार पर निम्नलिखित बातों पर चर्चा की जा सकती है तथा कुछ कार्यक्रम बनाए जा सकते हैं।

1. बच्चों को चर्चा के द्वारा यह समझाया जा सकता है कि यदि प्रत्येक घर का कूड़ा-कचरा एक स्थान पर इकट्ठा किया जाए तो सफाई कर्मचारी कम समय में अधिक स्थान की सफाई कर सकेगा। यदि सफाई कर्मचारी की सुविधा उपलब्ध न हो तो क्षेत्र के लोग मिलकर या बच्चों की बाल मंडली बनाकर एक ऐसा स्थान चुन सकते हैं जहाँ सभी लोग स्वयं ही अपना कूड़ा-कचरा फेंक सकें। इसके लिए बच्चों व क्षेत्र के लोगों को यह समझाना होगा कि इधर-उधर कूड़ा-कचरा फेंकने से बीमारी फैल सकती है। यदि संभव हो तो कूड़े-कचरे से कम्पोस्ट खाद बनाने की योजना बनाई जा सकती है। इस काम के लिए आवश्यक जानकारी ब्लॉक कार्यालय (आफिस) से प्राप्त की जा सकती है।

2. गलियों व सड़कों की सफाई के लिए बाल मंडली तैयार की जा सकती हैं। बच्चों की सहायता से सफाई कार्यक्रम चलाया जा सकता है।

3. बच्चों में कूड़ा-कचरा जैसे केले का छिलका, चाँट का पत्ता आदि इधर-उधर न फेंकने की आदत का विकास करने के लिए उन्हें कहानी, संस्मरण आदि सुनाये जा सकते हैं।

स्वाभाविक ही यह प्रश्न उठता है कि सभी प्रबन्धों के बावजूद कूड़ा इधर-उधर

फेंका ही जाता है तो भी बड़े पैमाने पर बीमारी अर्थात् महामारी क्यों नहीं फैलती ? सौभाग्य से प्रकृति में कुछ ऐसे उपाय हैं जिनसे कूड़ा-कचरा दूसरे रूपों में बदल जाता है। यह तो सभी जानते हैं कि कुछ दिनों तक पड़ा रहने पर कचरा सड़ने लगता है और पूरी तरह सड़कर खाद में बदल जाता है। पेड़ पौधे अपना पोषक तत्व इस खाद से प्राप्त करते हैं। यहाँ से ये पोषक तत्व पशुओं व मनुष्य द्वारा भोजन के रूप में ले लिए जाते हैं। इस प्रकार यह चक्र चलता रहता है। यदि उचित जानकारी उपलब्ध हो तो शिक्षक बच्चों से इसी प्रकार के अन्य प्राकृतिक चक्रों के बारे में भी चर्चा कर सकता है।

ऊपर लिखी बातों पर चर्चा करते समय शिक्षक को कुछ सावधानी रखनी होगी। बच्चे यह न समझने लगें कि सभी प्रकार का कूड़ा-कचरा प्राकृतिक चक्रों द्वारा दूसरे रूपों में बदल जाता है और कई स्तरों से होता हुआ फिर प्रारम्भिक रूप में मिल जाता है। सामान्यतया प्राप्त पदार्थों में प्लास्टिक एक ऐसा ही पदार्थ है जिसका रूप नहीं बदलता। इसी प्रकार कांच, लोहा आदि अनेक पदार्थ हैं जिनके रूप बदलने की गति बहुत धीमी होती है। अतः कूड़े-कचरे तथा अन्य बेकार पदार्थों को फेंकने का उचित प्रबन्ध आवश्यक है। वैज्ञानिकों ने कूड़े-कचरे तथा ऐसे अनुपयोगी (बेकार) पदार्थों को फेंकने की अनेक विधियों का विकास कर लिया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने कूड़े-कचरे में मिले भिन्न-भिन्न पदार्थों को अलग कर उनसे दुबारा उपयोगी पदार्थ तथा वस्तुएं प्राप्त करने की विधियों का भी विकास किया है। यहाँ कुछ सामान्य पदार्थों को दुबारा उपयोग में लाने के लिए इकट्ठा करने के तरीकों की चर्चा की जा रही है। शिक्षक क्षेत्र की विशिष्टताओं को ध्यान में रखकर इनमें से कुछ के बारे में बच्चों से चर्चा कर सकता है तथा उन्हें अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए उत्साहित भी किया जा सकता है। इस पर चर्चा करने से पहिले यह आवश्यक होगा कि शिक्षक बच्चों से यह मालूम करे कि आमतौर पर कूड़े-कचरे में क्या-क्या चीजें हो सकती हैं।

इस सूची के आधार पर बच्चों से अपने क्षेत्र के उन स्थानों के बारे में चर्चा की जा सकती है जहाँ पर कूड़े-कचरे में से काम की चीजों को अलग किया जाता है।

1. कागज का पुनर्चक्रण

आजकल कागज का उपयोग बहुत बढ़ गया है। रोजाना ही अखबारों, पत्रिकाओं, स्कूलों तथा दफ्तरों में लिखने पढ़ने के बाद ढेर-सा कागज रद्दी के रूप में जमा हो जाता है। आजकल दुकानदार भी प्राय: सभी चीजों को कागज में लपेटकर ही देते हैं जो बाद में रद्दी के रूप में फेंक दिया जाता है। शिक्षक बच्चों से कागज की रद्दी के अन्य स्रोतों (साधनों) पर चर्चा कर एक सूची बनवा सकता है। रद्दी कागज से दोबारा अच्छा कागज अनेक चरणों से गुजरने के बाद मिलता है। सबसे पहिला चरण रद्दी को इकट्ठा करना है। शहरों में अनेक लोग घूम कर घरों से रद्दी खरीद लेते हैं, इन्हें कबाड़ी कहा जाता है। कुछ रद्दी कागज सड़कों, कूड़े के ढेरों आदि से भी इकट्ठा किया जाता है। इस प्रकार कई लोगों द्वारा इकठ्ठा रद्दी को एक आदमी खरीद लेता है। अब रद्दी की छंटाई की जाती है। ऐसी रद्दी अलग कर ली जाती है जिससे सामान रखने के लिए कागज के थैले, खिलौने आदि बनाए जा सकते हैं। ऐसी रद्दी को थैले, खिलौने बनाने वाले लोग खरीद लेते हैं और तैयार माल को फिर से बाजार में बेच देते हैं। शिक्षक बच्चों से रद्दी के भाव, उसे दुकानदार को बेचने पर होने वाले मुनाफे तथा सीधे घरों से रद्दी खरीदकर कागज के थैले आदि बनाकर बेचने से होने वाले मुनाफे पर चर्चा कर सकता है। यदि एक या अधिक बच्चे मिलकर ऐसा कोई काम करना चाहें तो शिक्षक उन्हें सहायता कर सकता है। छंटाई के बाद बचे रद्दी कागज को एक बड़े व्यापारी को बेच दिया जाता है जो कई लोगों से रद्दी खरीद कर उसे कागज मिल को बेच देता है। मिल में रद्दी कागज से दुबारा कागज बना लिया जाता है।

ऐसी योजना बनाई जा सकती है कि बीच के व्यापारियों को हटाकर अधिक मुनाफा कमाया जा सके। इसके लिए संगठन तथा धन की आवश्यकता होगी तथा कागज मिलों अथवा बड़े व्यापारियों से सीधे संपर्क करने की आवश्यकता होगी। इसके लिए क्षेत्र के अन्य शिक्षकों के साथ बैठकर योजना बनाई जा सकती है तथा बैंक या सहकारी समिति से ऋण मिलने की संभावना का भी पता लगाया जा सकता है। बंबई

में इस प्रकार की योजना पर एक सामाजिक संस्था सफलतापूर्वक कार्य कर रही है।

2. जैविक पदार्थों का पुनर्चक्रण

कचरे में मिले ऐसे पदार्थ जो पूरी तरह सड़ने पर खाद में बदल जाते हैं जैविक पदार्थ कहलाते हैं। कागज और सूती कपड़ा जैविक पदार्थों के अन्य उदाहरण हैं। जैविक पदार्थों के पुर्नचक्रण के बारे में हम पहिले ही बता चुके है।

3. कांच का पुनर्चक्रण

रद्दी में मिले कांच के सामान को दो समूहों में बांटा जा सकता है। पहले समूह में कांच की बनी शीशियां, बोतलें आदि रखी जा सकती हैं जिनका उसी रूप में अन्य कामों के लिए उपयोग किया जा सकता है। कभी-कभी नकली दवाइयां, क्रीम, तेल इत्यादि चीजें बनाने वाले लोग इन बोतलों का इस्तेमाल करते हैं जिससे बहुत से लोगों को नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसे लोग समाज व देश के दुश्मन हैं। यदि हम यह देखें कि कोई रद्दी बेचने वाला व्यापारी इन बोलतों को इस प्रकार के उपयोग करने वाले लोगों को बेच रहा है तो इसकी शिकायत पुलिस में करनी चाहिए। कांच के पुनर्चक्रण के लिए कांच की बोतलों, शीशियों व छोटे-छोटे टुकड़ों को गरम करके गलाया जाता है फिर इससे कांच की नई चीजें बनाई जाती हैं। यहां यह ध्यान रखना आवश्यक है कि कांच कई प्रकार का होता है और अनेक रंगों में बनता है। अत: कभी-कभी गलाने से पहले एक ही प्रकार अथवा रंग के कांच को अलग करना आवश्यक हो सकता है। कागज की तरह रद्दी कांच को जमा करके बेचने अथवा रद्दी कांच से दोबारा नई वस्तुएं बनाने की योजना बनाई जा सकती है।

4. प्लास्टिक का पुनर्चक्रण

कांच की तरह प्लास्टिक की वस्तुओं को गलाकर दुबारा नई वस्तुएं बनाई जाती हैं। इस काम के द्वारा धन कमाने की योजना भी पहले की ही तरह बनाई जा सकती है। बच्चों से चर्चा करते समय शिक्षक को यह ध्यान रखना चाहिए कि अनेक प्रकार के प्लास्टिक काम में लाए जाते हैं उनमें से कुछ बहुत जल्दी आग पकड़ लेते हैं।

अत: बिना उचित ज्ञान के प्लास्टिक से संबंधित काम नहीं करना चाहिए।

आजकल सामान बेचने के लिए प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग भी बहुत बढ़ गया है। सामान को तौलकर थैलियों में भरने का काम करने की योजना भी बच्चों से मिलकर बनाई जा सकती है।

5. धातुओं का पुनर्चक्रण

टीन के डिब्बे, कनस्तर आदि धातुओं से बनी वस्तुओं के उदाहरण हैं जिनसे सामान्यतया हमें रद्दी मिलती है। इनका पुनर्चक्रण भी कागज की तरह एक जगह इकट्ठा करके किया जाता है। ऊपर बताए उपायों के अनुसार ही इनसे भी मुनाफा कमाने का कार्यक्रम बनाया जा सकता है। मिलों व कारखानों की रद्दी में लोहे के छोटे टुकड़े, छीलन आदि मिली होती है। बड़े-बड़े चुम्बकों की सहायता से इसे अलग किया जाता है। इस प्रकार प्राप्त लोहे के टुकड़ों-छीलन आदि से दुबारा काम योग्य लोहा प्राप्त किया जाता है।

5. मूल्यांकन

किसी भी काम को करने के पीछे हमारा कोई न कोई उद्देश्य जरूर होता है। इस शिक्षा के भी हमने कुछ उद्देश्य तय किए हैं जिनकी चर्चा हमने प्रस्तावना में की है। किसी भी काम में मनुष्य को अचानक सफलता नहीं मिलती। वह प्रयत्न करता है फिर उसकी जांच परख करता है कि उसे कहाँ तक सफलता मिली और क्या कमी रह गई। इसी के आधार पर वह अपने आगे के प्रयत्नों में सुधार करता है। इसी तरह हम शिक्षा का यह जो काम कर रहे हैं उसे भी निरन्तर जांचना-परखना पड़ेगा बिना यह किए हमें पता ही नहीं लगेगा कि हमारी मेनहत और काम कहां तक आगे बढ़ा है या उसमें कहां कमी रह गई है। यह जांच परख ही काम का मूल्यांकन है। अर्थात जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं और यह देखना चाहते हैं कि वे कितना सीख गए हैं तो हम कुछ उपाय करते हैं। यही उपाय मूल्यांकन की विधियां होती हैं। जब हमें पता चलता है कि बच्चे इतना सीख गए हैं तो बच्चों की योग्यता का मूल्यांकन होता है और साथ ही हमारा भी मूल्यांकन होता है कि हम अपने उद्देश्य में कहां तक सफल हुए हैं।

यह तो हम जानते ही हैं कि ये बच्चे उन बच्चों से अलग हैं जो स्कूलों में जाकर शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और इसीलिए जिस शिक्षा का प्रबन्ध हम इन बच्चों के लिए कर रहे हैं वह भी बिल्कुल अलग है। अत: मूल्यांकन करने का तरीका भी हमारा अलग ही होगा। इस शिक्षा में हम बच्चों को किसी प्रकार की परीक्षा के द्वारा उन्हें पास या फेल करने नहीं जा रहे हैं। क्योंकि हमारा उद्देश्य यहां उन्हें शिक्षित कर देना है, पास या फेल करके उन्हें दो वर्गों में बांट देना नहीं है।

इस शिक्षा में मूल्यांकन का हमारा उद्देश्य असल में यह है कि हम यह जानते

रहें कि

(1) बच्चों ने कितनी योग्यता प्राप्त कर ली है। इस आधार पर अब उन्हें कितना और किस तरह पढ़ाया जाए ताकि वे हमारे उद्देश्य को पूरा कर सकें।

(2) बच्चों की योग्यता के आधार पर ही हम यह जान सकेंगे कि हमारी पढ़ाने की विधियां कितनी सफल हुई या यह कि शिक्षक ने स्वयं कहां तक सफलता पाई और अब उसे क्या करना चाहिए।

(3) शिक्षा देने की यह जो योजना बनाई गई थी वह कहां तक सफल हुई। अर्थात इस योजना में कौन-कौन सी कठिनाइयां आईं। किन बातों को जोड़ा जाना चाहिए और किन बातों को कम किया जाना चाहिए।

इस तरह के मूल्यांकन की विशेषता यह है कि यह केवल कुछ समय के लिए नहीं होता। यानी यह शिक्षण के साथ-साथ ही चलता रहता है और इसके द्वारा शिक्षण में सुधार भी चलता रहता है। यह मूल्यांकन किसी तरह के दबाव के कारण नहीं होता जिससे बच्चों को परेशानी हो और शिक्षकों को भी। क्योंकि इसमें परीक्षा जैसी कोई चीज नहीं होती। यह मूल्यांकन तो सिखाने के साथ ही लगातार चलता रहेगा। उदाहरण के लिए जब एक खास समय के बाद यदि आप यह पता लगाएं कि बच्चे अब तक कितना सीख गए हैं और अभी उन्हें कितना और सीखना है तो यह हुआ बच्चों की योग्यता के सम्बन्ध में मूल्यांकन। इस प्रकार का मूल्यांकन तो हर रोज चलता ही रहेगा लेकिन एक निश्चित समय के बाद पूरे तौर पर भी हम यह जानना चाहेंगे कि बच्चे कहां तक पहुंच गए हैं।

इसी तरह बच्चों को पढ़ाते समय जब शिक्षक प्रश्न पूछता है तो कितने बच्चे उत्तर देते हैं या कितने बच्चे उसी काम को करके बता देते हैं जो शिक्षक ने सिखाया है। यह हुआ शिक्षक का स्वयं के शिक्षण से सम्बन्धित मूल्यांकन।

इसी प्रकार जब केन्द्र प्रारम्भ हुआ उस समय अगर 30 बच्चे थे जो पढ़ने आए थे और तीन महीने या कुछ समय बाद यदि उनकी संख्या घट जाती है तो हमारी योजना में कहीं कोई गड़बड़ी है, उसका पता लगाना चाहिए और यदि संख्या बढ़ जाती है तो हमारी योजना ठीक चल रही है, उसे और प्रभावकारी बनाना चाहिए। यह हुआ

योजना के सम्बन्ध में मूल्यांकन ।

अब हम मूल्यांकन की विधियों की संक्षेप में चर्चा करेंगे। इन विधियों की चर्चा करने से पहले यह बता देना जरूरी है कि शिक्षक इन विधियों का उपयोग केवल बच्चों को शिक्षा देने के लिए करेगा। अत: यदि वह आवश्यक समझता है तो बच्चों के ज्ञान और कुशलताओं के बारे में जो प्रगति हुई है उन्हें कहीं नोट करता चले। ऐसा उसे अपनी जानकारी के लिए ही करना है ताकि वह बच्चे की प्रगति को आंकता रहे उसे यह जानकारी किसी प्रपत्र में भरकर कहीं भेजनी नहीं है।

बच्चों का मूल्यांकन :—बच्चों के ज्ञान, रुचि, कौशल, व्यवहार आदि का मूल्यांकन करने के लिए नीचे कुछ विधियां दी गई हैं। ये विधियां यहां तो अलग-अलग दी गई हैं पर शिक्षण के साथ कई-कई विधियां साथ-साथ चलती रहती हैं और कई बार हम केवल एक विधि का ही सहारा लेते हैं।

1. **निरीक्षण विधि** :—इस विधि में शिक्षक बच्चों को काम करते हुए देखता है और गहराई से उनका निरीक्षण करता है। यह काम चाहे बच्चों का पढ़ना लिखना हो, कोई काम करना हो, खेलना कूदना हो, शिक्षक बच्चों का निरीक्षण करता है और यह देखता है कि बच्चे किस प्रकार काम कर रहे हैं। उनके द्वारा शिक्षक बच्चों की रुचियों, व्यवहार और कुशलताओं का अध्ययन करता है और इसी के आधार पर उन्हें मदद करता है। इस विधि में शिक्षक हर बच्चे पर ध्यान केन्द्रित करता है और उसकी व्यक्तिगत कठिनाई हल करने में सहायता देता है और इसी तरह हर बच्चे की प्रगति का पता लगता है। जब बच्चे खेलकूद रहे हों तो यह देखा जा सकता है कि वे नियमों का पालन कर रहे हैं अथवा नहीं। किसी काम को करते समय वे सही विधि को अपना रहे हैं अथवा नहीं। किस बच्चे का मन किस काम में अधिक लगता है, इत्यादि का मूल्यांकन निरीक्षण द्वारा किया जा सकता है। यह निरीक्षण दो प्रकार का होता है। पहला तो वह कि जब हम बच्चों के क्रियाकलाप का निरीक्षण चुपचाप करते रहें। यह केवल निरीक्षण होगा। इसके द्वारा हम बच्चे के **व्यवहार**, रुचियों और प्रवृतियों का मूल्यांकन करते हैं। हम देखते हैं कि उनमें कितना परिवर्तन आया है। क्या उनकी रुचियों का विकास हुआ है? उनके व्यवहार में कहां तक सुधार हुआ है और उनकी

प्रवृतियों में वह परिवर्तन हुआ है या नहीं जो आप चाहते हैं। निरीक्षण के द्वारा इस तरह का मूल्यांकन शिक्षक हमेशा ही स्वतंत्र रूप से करता रहेगा।

लेकिन जब शिक्षक बच्चों को पहले ही किसी कार्य के बारे में बताकर उनसे कार्य करने को कहे और जब बच्चे उस कार्य को कर रहे हों तब शिक्षक बच्चे के इस समय की क्रियाओं का निरीक्षण इसलिए करता है कि वह यह जान सके कि वे कितना समझ सके हैं। जो नियम या विधि उसने बताई थी उनका वे कहां तक पालन कर रहे हैं। यह एक प्रकार से निर्देशित निरीक्षण है अर्थात् यहां निरीक्षण किसी विशेष क्रिया का ही है। उसी पर शिक्षक को नजर रखना है।

परीक्षा विधि :—परीक्षा एक परम्परागत विधि है लेकिन यहां हम इसका उपयोग उसी तरह नहीं करेंगे जिस तरह स्कूलों में इसका उपयोग होता है। जब कुछ समय बाद हम जानना चाहते हैं कि बच्चों ने अब तक कितना ज्ञान अर्जित कर लिया है अर्थात वे कितना सीख गये हैं तो हम कुछ प्रश्न बच्चों को दे देते हैं और उनका उत्तर उनसे पूछते हैं। इस तरह इसके दो भाग हो जाते हैं (1) मौखिक (2) लिखित। पर यहां हमारा उद्देश्य केवल यह जानना ही होना चाहिए कि वे कितना सीख गये हैं और कितना उन्हें सिखाना है। यह नहीं कि उन्हें इस समय में कितना सीख लेना चाहिए था और यदि वे नहीं सीख सके तो उनके मन में अपने कम सीख पाने के कारण कोई निराशा हो। अतः मौखिक या लिखित प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने पर उन्हें किसी प्रकार के अंक न दिए जाएं। सीख जाने वाले बच्चों को जरूर बढ़ावा दिया जाए और कम सीखने वालों को, जितना भी उन्हें आता है उनके व्यवहार पर उत्साहित किया जाए।

इस तरह के मूल्यांकन में यह ध्यान देना आवश्यक है कि सारे बच्चों को एक साथ बिठाकर परीक्षा न ली जाए। यह काम समूहों में हो सकता है और हर जब आवश्यक हो तभी किसी बच्चे की परीक्षा ली जा सकती है। इसके लिए बच्चों को पहले से कोई सूचना न दी जाए और उन्हें यह भी न पता लगे कि आप किसी तरह की परीक्षा ले रहे हैं। ऐसा इसलिए भी कि हो सकता है बच्चा हमेशा न आएं। परीक्षा किसी प्रकार का भय बच्चों में न पैदा करे।

प्रयोग विधि :—इस विधि में हम बच्चों को कुछ प्रयोग करने के लिए कहते हैं, उनसे जानकारी और तथ्य प्राप्त करने के लिए कहते हैं । इस तरह के कार्य के द्वारा हमारा उद्देश्य यह होता है कि हम जान जाएं कि जो तथ्य किसी विषय के संबंध में बताए गए थे उन्हें बच्चे भूले तो नहीं हैं । साथ ही क्या उनमें इतनी कुशलता प्राप्त हो गई है कि वे उन्हीं प्रयोगों को सफलता पूर्वक दूसरी स्थितियों में लागू कर लेते हैं । अतः अलग-अलग प्रयोग देकर या काम देकर हम देखना चाहते हैं कि

(1) बच्चे ने जानकारी कहां तक कर ली है

(2) बच्चों ने उस कार्य को करने में कितनी कुशलता प्राप्त कर ली है ।

इन बातों को जानकर ही शिक्षक बच्चे की कुशलता का विकास कर सकेगा ।

यहां एक बार फिर से यह बता देना जरूरी है कि बच्चों का मूल्यांकन करते समय बच्चों को किसी प्रकार से यह आभास न दिया जाए कि आप उनकी किसी तरह की कोई परीक्षा ले रहे हैं ।

ऊपर कही गई सारी विधियां शिक्षण का ही हिस्सा है । अतः इनका प्रयोग पढ़ाई के साथ-साथ हर कदम पर होता रहेगा । क्योंकि मूल्यांकन की आवश्यकता इसलिए होती है कि हम यह जान सकें कि बच्चे किस हद तक पहुंचे हैं और उनके सामने अब क्या कठिनाई है और उसे कैसे हल किया जाए । इस मूल्यांकन द्वारा अंततः यही जानना हमारा उद्देश्य है कि जब बच्चे हमारे पास आए थे तब क्या थे और अब उनमें क्या परिवर्तन आ गया है ।

शिक्षक का मूल्यांकन :—अगर हमने यह पता लगा लिया है कि बच्चों में हमारी शिक्षा के द्वारा कितना परिवर्तन आया है तो यही सबसे बड़ा मूल्यांकन शिक्षक के अपने परिश्रम और सूझबूझ का है । अतः जब शिक्षक स्वयं अपने काम का मूल्यांकन करे तो नीचे लिखी बातों का पता लगाना ही उसका उद्देश्य है ।

(1) बच्चों के व्यवहार में (उनके ज्ञान, अनुभव और कुशलताओं के द्वारा) परिवर्तन आया है या नहीं । यदि यह परिवर्तन ठीक है तो उसका शिक्षण ठीक दिशा में बढ़ रहा है ।

(2) शिक्षक स्वयं यह भी देखें कि जो चीजें उसे बच्चों को पढ़ानी हैं वह स्वयं

उसे कहां तक समझता है। यदि कहीं कठिनाई है तो वह और लोगों की सहायता से समझने की चेष्टा करे।

(3) उसे शान्त मन में यह भी अपने आप से ही प्रश्न करना चाहिए कि वह जिन बातों को बच्चों से करने के लिए कहता है, वह स्वयं भी उनमें कहां तक बच्चों का साथ देता है या स्वयं कितना सक्रिय होता है।

(4) यह भी जानने की कोशिश वह करे कि वह हर बच्चे पर अलग-अलग कितना ध्यान देता है और उसे अधिकाधिक करने के लिए क्या करना चाहिए।

(5) वह यह भी जानने की कोशिश चुपचाप करता रहे कि उसके कार्यों का समाज के लोगों पर क्या असर पड़ा है और उनकी क्या प्रतिक्रिया है। इससे वह अपने व्यवहार में आवश्यक परिवर्तन कर सकेगा। इस जानकारी को प्राप्त करने के लिए किसी से सीधे न पूछे।

योजना का मूल्यांकन

सारे मूल्यांकनों का सार ही हमारी योजना का मूल्यांकन होगा। हमें यह जानना जरूरी है कि जिन उद्देश्यों को लेकर यह कार्य आरम्भ किया गया है उन्हें कहां तक प्राप्त कर सके हैं और बाकी सफलता के लिए हमें और क्या-क्या उपाय करने चाहिए। अतः नीचे लिखी बातों का पता हम लगाते रहें तो हमारी योजना का मूल्यांकन हो सकेगा।

1. शिक्षक स्वयं के मूल्यांकन द्वारा ही पता कर सकेगा कि यह शिक्षा कहां तक सफल हुई।
2. शिक्षक को जो सामग्री दी गई थी इसका यदि उसने ठीक-ठीक उपयोग किया है तो यह सामग्री उद्देश्यों की पूर्ति में कहां तक सहायक हुई। अर्थात किताबें, सहायक सामग्री (चार्ट, फ्लैशकार्डस, पोस्टर आदि) आदि कितनी प्रभावकारी हैं। या उसमें कोई कमी है जिसमें परिवर्तन किया जा सके।
3. जिस क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं वहां के लोगों पर इस पूरी योजना

का क्या प्रभाव पड़ा ? क्या वे आशावान हैं। आपके काम में सहयोग के लिए तत्पर रहते हैं या आलोचना करते हैं या उदासीनता बरतते हैं ?

4 प्रारम्भ में आपके केन्द्र पर कितने बच्चे आए। इनकी संख्या में वृद्धि हुई है अथवा उनकी संख्या घटी है।

5. सारी पढ़ाई के बाद यह भी देखें कि कितने बच्चों ने इस शिक्षा को पाने के बाद आगे पढ़ने के लिए वर्तमान स्कूलों में प्रवेश की इच्छा प्रकट की।

कुल मिलाकर यह कि मूल्यांकन की आवश्यकता हमें इसलिए ही है कि हम बच्चों को दी जाने वाली शिक्षा में ऐसा सुधार कर सकें कि अधिक से अधिक बच्चे शिक्षित हों और हमारे देश में अशिक्षा के नाम की चीज जड़ से समाप्त हो जाए।

योजना का यह मूल्यांकन तो आप स्वयं अपने स्तर पर करेंगे ही क्योंकि आपका यह मूल्याँकन ही आपको अपने कार्य में आगे बढ़ाएगा। इसके अलावा अन्य लोग भी जो इस काम से जुड़े हुए हैं इस योजना का मूल्यांकन करते ही रहेंगे और ढांचे में जिस परिवर्तन की आवश्यकता होगी करेंगे। लेकिन आपका अपना मूल्यांकन भी इसलिए महत्वपूर्ण है कि आप अपने सुझाव भी इसमें शामिल कर सकें।